केवल शासकीय प्रयोजनार्थ
(प्रतिवेदन क्रमांक–442)

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित पालनहार योजना का मूल्यांकन अध्ययन

राजस्थान सरकार
मूल्यांकन संगठन
योजना भवन,
जयपुर

अनुक्रमणिका

अध्याय	विवरण	पृष्ठ संख्या
	निष्पादक संक्षेप	i - viii
प्रथम	अध्ययन संरचना	1 – 9
द्वितीय	प्रगति समीक्षा	10 – 20
तृतीय	अध्ययन के परिणाम	21 – 44
चतुर्थ	कठिनाइयाँ एवं सुझाव	45 – 50
	परिशिष्ट– *I - III*	51 – 53

———

उद्‌बोधन

पालनहार योजना सामाजिक सुरक्षा की एक अनूठी योजना है। योजनान्तर्गत अनाथ बच्चों के रूप में परिभाषित बच्चों को भोजन, वस्त्र, आवास और प्रारम्भिक शिक्षा व अन्य आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति का दायित्व लेने वाले व्यक्ति(पालनहार) को अनुदान सहायता राशि उपलब्ध करायी जाती है ताकि अनाथ बच्चों का लालन–पालन सुनिश्चित हो सके एवं समय पर शिक्षा सुविधा एवं सुसंस्कारवान बनाने के अवसर उपलब्ध हो सके।

योजनान्तर्गत वर्ष 2004–05 से 2008–09 तक राशि 2628.80 लाख व्यय कर 24692 अनाथ बालक–बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है। योजना के क्रियान्वयन से लाभार्थी वर्ग को अपेक्षित परिलाभों के स्तर का आंकलन करने के लिए मूल्यांकन किया गया है।

योजना के मूल्यांकन से परिलक्षित हुआ है कि पालनहारों को वितरित अनुदान राशि से अनाथ बालक–बालिकाओं के शैक्षणिक विकास के साथ पारिवारिक वातावरण में लालन–पालन सहजतापूर्वक सम्भव हुआ है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रस्तुत प्रतिवेदन में यथास्थान व्यावहारिक सुझाव अंकित किये गये हैं, जो कार्यकारी विभाग के लिए सार्थक रहेंगे।

मुझे विश्वास है कि कार्यकारी विभाग एवं नीति निर्धारकों के लिए प्रतिवेदन रूचिकर एवं उपयोगी सिद्ध होगा।

तिथि : 21 मई,2010
स्थान : जयपुर

(देवेन्द्र भूषण गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव, आयोजना

आमुख

समाज में अनाथ बालक–बालिकाओं को भोजन, वस्त्र, आवास और प्रारम्भिक शिक्षा व अन्य आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति का दायित्व लेने वाले व्यक्ति(पालनहार) को अनुदान सहायता राशि प्रारम्भिक 5 वर्ष के लिए 500 रूपये प्रतिमाह एवं स्कूल में दाखिल होने के बाद 675 रूपये प्रतिमाह तथा वस्त्र, जूते, जुराब, स्वेटर इत्यादि के लिए 2000 रूपये वार्षिक अतिरिक्त अनुदान स्वीकृत किये जाने के आशय की पालनहार योजना का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा क्रियान्वयन किया जा रहा है।

योजना की प्रभाविता के मूल्यांकन हेतु बहुस्तरीय न्यादर्श पद्धति के आधार पर राज्य के 4 जिले यथा– जालौर, भीलवाड़ा, बांरा तथा आदिवासी क्षेत्र डूँगरपुर के चयनित नगर निकायों के वार्ड एवं ग्राम पंचायतों में 127 लाभार्थियों से 33 अधिकारी/गैर अधिकारी वर्ग से योजना की क्रियान्विति के विभिन्न पक्षों पर विचार एकत्र किये गये। राज्य एवं जिला स्तरीय रिकार्ड सूचना भी एकत्र की गयी। इस समस्त एकत्र सूचना का विश्लेषण कर प्रस्तुत मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार किया गया है।

सर्वेक्षण के निष्कर्षों से परिलक्षित होता है कि योजनान्तर्गत स्वीकृत अनुदान सहायता राशि से पालनहारों को आर्थिक सम्बल प्राप्त हुआ है जिससे अनाथ बच्चों के लालन–पालन एवं शैक्षणिक विकास सुलभ हो पाया है। प्रतिवेदन में परियोजना के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालते हुए प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभिन्न सुझाव अंकित किये गये हैं।

मैं आशा करता हूँ कि प्रतिवेदन में अंकित सुझाव कार्यकारी विभाग के लिए परियोजना को अधिक सफल एवं सुदृढ़ बनाने में मार्गदर्शन प्रदान करते हुए उपयोगी साबित होंगे।

दिनांक – 25 मई,2010
स्थान – जयपुर

(देवानन्द)
निदेशक एवं पदेन उप सचिव

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित
पालनहार योजना का मूल्यांकन अध्ययन

निष्पादक संक्षेप

I. परिचयात्मक विवरण : पालनहार योजना –

राजस्थान सरकार द्वारा ''सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग'' के माध्यम से पालनहार योजना नियम 2005 एवं संशोधित नियम 2007'' के अन्तर्गत संचालित की जा रही है प्रारम्भ में यह योजना अनुसूचित जाति के अनाथ बच्चों के लिए संचालित/क्रियान्वित की गई थी किन्तु बाद में नियमों में संशोधन कर इसका विस्तार करते हुये दिनांक 1–8–2005 से समस्त जातियों के अनाथ बच्चों के लिए इस योजना को क्रियान्वित किया गया। पालनहार योजना का क्रियान्वयन राज्य के समस्त जिलों में दिनांक 8–2–2005 से किया जा रहा है।

II. पालनहार योजना संचालन नियम एवं अनुदान :

पालनहार योजना अन्तर्गत पालनहार को 5 वर्ष की आयु तक के अनाथ बच्चों हेतु 500/– रुपये प्रतिमाह की दर से तथा बालक/बालिका के स्कूल में दाखिला लेने के बाद 675/– रुपये प्रतिमाह की दर से प्रति बालक अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। इसके अतिरिक्त कपड़े, जूते, स्वेटर आदि के लिए 2000/– रुपये प्रति अनाथ बच्चे की दर से वार्षिक एकमुश्त अनुदान दिया जाता है। वर्ष 2007–08 में योजना का विस्तार किया जाकर निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा महिला के मामले में उसके केवल एक बच्चे के लिए 5 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक 500/– रुपये प्रतिमाह एवं 15 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक 675/– रुपये प्रतिमाह अनुदान देय है। इन्हें वार्षिक एकमुश्त राशि 2000/– रुपये देय नहीं होती है। ऐसी निराश्रित पेंशन पात्र विधवा महिला के एक से अधिक सन्तान होने की स्थिति में उसकी द्वितीय सन्तान के 15 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक एक बच्चे के लिए ही मासिक अनुदान देय होगा। इन्हें वार्षिक एकमुश्त 2000/–रुपये राशि देय नहीं होती है।

III. संदर्भ अवधि :

अध्ययन से सम्बन्धित प्रलेख सूचनाऐं वर्ष 2004–05 से 2008–09 तक की एकत्रित की गयी तथा लाभार्थियों, पालनहारों, सरकारी/गैर–सरकारी अधिकारियों तथा अनुसंधानकर्त्ताओं के विचार सर्वेक्षण तिथि से मार्च,2009 तक के अंकित किये गये।

IV. राज्य स्तरीय वित्तीय एवं भौतिक प्रगति :

पालनहार योजना अन्तर्गत वर्ष 2004–05 से 2008–09 तक कुल 2637.63 लाख रूपये की राशि आवंटित की गई थी। आवंटन के विपरीत 2628.80 लाख रूपये की राशि (99.67 प्रतिशत) व्यय हुई योजना के तहत वर्ष 2004–05 में 368 बच्चों का लाभान्वित किया गया था एवं उत्तरोत्तर वृद्धि होते हुए वर्ष 2008–09 में 24692 बच्चों को योजना के तहत लाभान्वित किया जा रहा था।

V. **चयनित न्यादर्श का स्वरूप** :

पालनहार योजनान्तर्गत चयनित चारों जिलो यथा बांरा, भीलवाड़ा, डूँगरपुर, जालौर के चार नगर निकाय एवं चार पंचायत समिति, चयनित नगर निकाय के 8 वार्ड एवं 8 ग्राम पंचायतों से सम्पर्क कर 111 विधवा माताओं एवं 16 अनाथ बच्चों को पालने वाली चाची/ताई/दादी/नानी आदि रिश्तेदार से सम्पर्क कर 127 पालनहार अनुसूची एवं 127 बच्चों से सम्पर्क कर लाभार्थी अनुसूची भरी गई। 21 अधिकारियों 12 गैर अधिकारियों/जनप्रतिनिधियों से योजना की क्रियान्विति बाबत जानकारी प्राप्त की गयी तथा रिकार्ड सूचना एकत्र कर अध्ययन प्रतिवेदन तैयार किया गया हैं।

VI. **पालनहारों की जाति** :

चयनित 127 विधवा माता पालनहार में से 49(38.58 प्रतिशत) अनुसूचित जाति, 20(15.75 प्रतिशत) अनुसूचित जनजाति, 37(29.13 प्रतिशत) अन्य पिछड़ा वर्ग, 19(14.96 प्रतिशत) सामान्य जाति एवं 2(1.58 प्रतिशत) अल्पसंख्यक थे। सर्वाधिक पालनहार अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के पाये गये, जिनके द्वारा बेसहारा बच्चों का पालन–पोषण किया जा रहा है।

VII. **पालनहारों का व्यवसाय :**

चयनित 127 विधवा माता पालनहारों में सर्वाधिक 92(72.44 प्रतिशत) मजदूरी करने वाली महिलाऐं थी, कृषि 21(16.53 प्रतिशत), पशुपालन 12(9.45 प्रतिशत), नौकरी करने वाली 2(1.57 प्रतिशत) एवं 2(1.57 प्रतिशत) दुकान का व्यवसाय करने वाली थी। चयनित पालनहार महिलाओं में से 32 (25.20 प्रतिशत) महिलाऐं निराश्रित पेंशन प्राप्त करने वाली रही। विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि अधिकांश महिलाऐं मजदूरी कार्य करने वाली पाई गई जिससे यह भी स्पष्ट होता है कि उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर रही है जिनकों योजना के तहत लाभान्वित किया जाना सामाजिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण कदम विभाग द्वारा उठाया जा रहा है।

VIII. **पालनहार की आय :**

चयनित 127 पालनहारों में से 91 (71.65 प्रतिशत) महिलाओं की वार्षिक आय 12000 रुपये तक, 16 (12.60 प्रतिशत) की 18000 रुपये तक, 10(7.87 प्रतिशत) की 24000 रुपये तक, 7(5.51 प्रतिशत) की 36000 रुपये तक एवं 3(2.37 प्रतिशत) की आय 48000 रुपये वार्षिक आय थी अर्थात् सर्वाधिक पालनहारों की मासिक आय 1000–1500 रूपये मासिक पायी गई। चयनित पालनहारों की वार्षिक आय भी प्रावधानानुसार 1.20 लाख रुपये से कम पायी गई जिससे योजनान्तर्गत उनका चयन प्रावधानानुसार पाया गया।

IX. योजना की जानकारी :

चयनित 127 पालनहारों में से 83(65.35 प्रतिशत) को योजना की जानकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा, 31(24.41 प्रतिशत) को वार्ड पार्षद, सरपंच अथवा वार्ड सचिव से एवं 13(10.41 प्रतिशत) को पड़ौसियों/रिश्तेदारों से योजना की जानकारी हुई। चयनित 127 में से 83(65.35 प्रतिशत) लाभार्थियों को योजना की जानकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से प्राप्त होना, विभाग के ग्रामीण स्तर के कार्मिकों की कार्यक्रम में रूचि का परिचायक हैं।

X. आवेदन प्रक्रिया :

चयनित समस्त विधवामाता पालनहार एवं अनाथ बच्चों की पालनहारों द्वारा आवेदन निर्धारित प्रारूप में किया जाना बतलाया। आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रमाण पत्र, पति का मृत्यु प्रमाण–पत्र, पी.पी.ओ. की फोटो प्रति, बच्चे की आयु के सम्बन्ध में विद्यालय का प्रमाण पत्र, फोटो, सरपंच, वार्ड पार्षद एवं नगर पालिका का प्रमाण–पत्र, आय सम्बन्धी प्रमाण–पत्र, राशन कार्ड की प्रति, बैंक का खाता नम्बर एवं अनाथ बच्चों की पालनहार हेतु अनाथ बच्चों के माता–पिता का मृत्यु प्रमाण–पत्र व पालनहार अण्डर टेकिंग स्वंय का विवरण प्रमाण–पत्र आदि संलग्न किये गये। जिन प्रार्थना पत्रों को अस्वीकृत किया गया वे आवेदन पत्र नियमों के बाहर होने के कारण अस्वीकृत किये गये।

XI. आवेदन पत्र स्वीकृति में लगने वाला समय अन्तराल

चयनित 127 पालनहारों द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने एवं उसके स्वीकृत होने में 76 (59.84 प्रतिशत) को 1 माह, 19(14.96 प्रतिशत) को 2 माह, 6(4.73 प्रतिशत) को 3 माह, 6(4.72 प्रतिशत) को 4 माह, 8(6.30 प्रतिशत) को 5 माह का समय लगा तथा 12(9.45 प्रतिशत) द्वारा जानकारी नहीं होना बतलाया। अर्थात कुल 127 चयनित लाभार्थियों मे से 95(74.80 प्रतिशत) लाभार्थियों को आवेदन के पश्चात् 2 माह की अवधि में आवेदन पत्र स्वीकृत हो गये थे।

XII. अनुदान :

चयनित समस्त 111 विधवा माता पालनहारों को राज्य सरकार द्वारा 5 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए 500 रुपये व 5 वर्ष से 15 वर्ष तक की आयु के बच्चों को 675/– रुपये राशि प्रतिमाह के अनुसार भुगतान किया जाना पाया गया। चयनित शत–प्रतिशत 16 पालनहारों को प्रावधान के अनुसार अनुदान राशि प्राप्त होना पाया गया। स्कूल में प्रवेशित बच्चों के लिए 675 रुपये की मासिक राशि तथा जूते, जुराब, स्वेटर, कपड़े हेतु एकमुश्त 2000 रुपये की राशि मिलना बतलाया गया। विभाग द्वारा अनुदान राशि का भुगतान 2–3 माह की अवधि का एक साथ किया जाना बतलाया। अनुदान राशि समय पर प्राप्त नहीं होने का मुख्य कारण विभाग में बजट देरी से आना बताया गया। इस सम्बन्ध में विभाग को पालनहारों को अनुदान राशि के भुगतान समय पर करवाये जाने की व्यवस्था पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

XIII. लाभार्थी के पालन–पोषण की स्थिति :

विधवा माता पालनहार के पास पल रहे चयनित 111 बालकों में से शत–प्रतिशत को उसकी माता द्वारा एवं अनाथ 16 बालकों में से 6 (37.5 प्रतिशत) को दादी, 3 (18.75 प्रतिशत) को नानी एवं 7 (43.75 प्रतिशत) को दूर के रिश्ते में पिता की दादी/नानी द्वारा पालन–पोषण किया जा रहा है। सभी पालनहारों द्वारा पालन–पोषण की पूर्ण देखभाल की जा रही है तथा उनके भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा एवं आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था उनके द्वारा की जा रही है। दूध, दही, फल एवं घी के लिए विधवा माता के 111 बालकों में से 74 (66.67 प्रतिशत) ने उपलब्ध करवाया जाना तथा 47 (42.33 प्रतिशत) ने उपलब्ध नहीं करवाया जाना बतलाया जिससे स्पष्ट है कि विधवा माता की स्थिति कमजोर है। उपलब्ध करवायी जाने वाली सुविधा को चयनित बालकों में से 30 (27.03 प्रतिशत) ने अच्छी एवं 81 (72.97 प्रतिशत) ने ठीक बतलायी और सभी बालक/बालिकाओं ने उनकी माता द्वारा उपलब्ध करवायी गई सुविधाओं से सन्तुष्ट होना बतलाया। जिससे स्पष्ट है कि बालक की माता एवं नजदीकी रिश्तेदार होने से उनकी देखभाल अच्छी तरह से की जा रही है।

XIV. चयनित बालकों का शैक्षणिक स्तर :

निराश्रित, पेंशन प्राप्त विधवा माता के यहाँ पल रहे 111 बालकों में से 1(0.90 प्रतिशत) बालक आंगनबाड़ी, 54 (48.65 प्रतिशत) प्राथमिक कक्षा, 46 (41.44 प्रतिशत) मिडिल एवं 9 (8.11 प्रतिशत) माध्यमिक एवं 1 (0.90 प्रतिशत) उच्च माध्यमिक कक्षा में पढ़ रहे थे अर्थात् सभी बच्चे पढ़ाई हेतु स्कूल जा रहे थे एवं सभी बच्चों को निर्धारित अनुदान राशि प्राप्त हो रही थी। चयनित 16 अनाथ बालकों में से सभी बालक स्कूल में अध्ययनरत थे। अध्ययन कर रहे बालकों में से 7 (43.75 प्रतिशत) बालक प्राथमिक कक्षा, 7(43.75 प्रतिशत) मिडिल कक्षा एवं शेष रहे 2 (12.50 प्रतिशत) बालक माध्यमिक कक्षा में अध्ययन कर रहे थे। इस प्रकार सभी बालकों को पालनहारों की निगरानी में पढ़ाने–लिखाने की व्यवस्था की जा रही थी जो उनके उज्जवल भविष्य के लिए उपयुक्त मार्गदर्शन के लिए आवश्यक है तथा सभी पालनहारों द्वारा उनकी शिक्षा पर ध्यान दिया जाना पाया गया।

XV. अनुदान से उपलब्ध सुविधाएँ :

निराश्रित पेंशन प्राप्त विधवा माता के यहाँ पल रहे बालक/बालिकाओं को पालनहार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही साधन/सुविधाओं की जानकारी प्राप्त करने पर स्कूल में प्रवेशित सभी बालकों ने फीस जमा करवाना, शिक्षण सामग्री, यूनिफार्म पालनहार द्वारा दिया जाना स्वीकार किया। जूते, जुराबें एवं स्वेटर हेतु चयनित में से 10 (9.01 प्रतिशत) ने प्राप्त नहीं किया जाना बतलाया। ट्यूशन भी 10 (9.01 प्रतिशत) बालक/ बालिकाओं ने किया जाना बतलाया। इनमें से II कक्षा में 1, III कक्षा में 1, VII कक्षा में 3, VIII कक्षा में 1 एवं X कक्षा के 4 बच्चे ट्यूशन कर रहे थे। जिससे

स्पष्ट है कि VII/ VIII कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाई करने में कठिनाई महसूस की जा रही थी जिसके लिए पालनहार द्वारा ट्यूशन करवाकर पढ़ाना जारी रखा गया। पालनहार द्वारा उपलब्ध करवायी जा रही सुविधाऐं एवं शिक्षण सम्बन्धी प्रयासों में सन्तुष्टि व्यक्त की। पालनहार का व्यवहार भी सभी बालक/बालिकाओं ने संतोषप्रद बतलाया।

चयनित 16 अनाथ बालकों में से भी सभी बालकों ने स्कूल में प्रवेश हेतु फीस, शिक्षण सामग्री, यूनिफार्म, जूते–जुराबे उपलब्ध करवाना बतलाया। किसी बच्चे द्वारा ट्यूशन करना नहीं पाया गया। सभी बालकों ने पालनहार का व्यवहार अच्छा ही बतलाया। अनुदान से सभी बालकों की पढ़ाई में भी सहयोग मिलना बतलाया। किसी बालक ने पालनहार को बदलने सम्बन्धी किसी प्रकार की इच्छा जाहिर नहीं की।

XVI. कठिनाईयाँ एवं सुझाव :

चयनित जिलों के विधवा माता पालनहार, अनाथ बालक/बालिकाओं को पालने वाली पालनहार, निराश्रित पेंशन प्राप्त विधवा माता का बालक/बालिका, अनाथ बालक/बालिका, अधिकारी/गैर–अधिकारी जिनका योजना में लाभ लेने एवं योजना के संचालन से प्रत्यक्ष सम्बन्ध था। उनके द्वारा सर्वेक्षण के समय अभिव्यक्त मुख्य–मुख्य कठिनाईयाँ एवं सुझाव निम्नानुसार पाये गये।

(1) अपर्याप्त अनुदान राशि :

विधवा माता एवं अनाथ बच्चों के पालन–पोषण हेतु विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए अनुदान राशि 675/– रुपये की निर्धारित की गई है तथा अनाथ बच्चों के भोजन, वस्त्र, आवास, प्रारम्भिक शिक्षा, चिकित्सा एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वार्षिक 2000/– रुपये की एकमुश्त राशि निर्धारित की गई है। पालनहारों द्वारा राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जा रही राशि को वर्तमान मंहगाई दर को देखते हुए न्यून बतलाई गई है।

इस सम्बन्ध में अनाथ एवं विधवा माताओं के बच्चों के पालन–पोषण एवं उनकी देखरेख हेतु प्रदान की जा रही राशि को बढ़ाने हेतु अधिकांश पालनहारों, लाभार्थियों एवं अधिकारियों ने बढ़ाये जाने हेतु सुझाव दिया है उनके अनुसार मासिक अनुदान उच्च कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए 800 से 1200 रुपये तक एवं एकमुश्त वार्षिक राशि भी बढ़ाकर 2500 से 3000 रुपये तक किये जाने हेतु मत व्यक्त किया है। अतः इस सम्बन्ध में सुझाव है कि वर्तमान मंहगाई की दर को देखते हुए अनाथ बालकों के पालन–पोषण हेतु विभाग एवं राज्य सरकार को राशि बढ़ाने पर विचार करना चाहिए।

(2) **अनुदान भुगतान में विलम्ब :**

अनाथ एवं निराश्रित पेंशन प्राप्त विधवा माता के बच्चों को भी अनुदान देय होता है उसका भुगतान चैक/ड्राफ्ट द्वारा किया जाना बतलाया गया। अनाथ बच्चों एवं निराश्रित पेंशन प्राप्त करने वाले बच्चों को अनुदान राशि 675/– रुपये एवं वार्षिक 2000/– रुपये एक मुश्त भुगतान किया जाना बतलाया। अनुदान सहायता राशि का भुगतान पालनहार जो बच्चे का पालन–पोषण कर रही है उसको किया जाता है। राशि का भुगतान प्रतिमाह नियमित रूप से नहीं किया जाना सभी जिलों द्वारा बतलाया गया। बांरा, जालौर एवं डूंगरपुर जिले में त्रैमासिक स्वीकृति एवं भीलवाड़ा द्वारा बजट प्राप्त होने पर नियमित भुगतान करना बतलाया गया।

पालनहारों को प्रदान की जा रही अनुदान राशि विभाग से समय पर नहीं मिलती है तथा एक मुश्त राशि सभी को प्राप्त नहीं होती है तथा भुगतान की सूचना भी समय पर नहीं दी जाती है जिससे पालनहारों को बार–बार विभाग के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इस सम्बन्ध में सुझाव दिया जाता है कि पालनहारों को अनुदान राशि भुगतान के सम्बन्ध में निर्धारित प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में भुगतान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। विभाग को राशि भुगतान की व्यवस्था नियमानुसार पालनहार के घर करनी चाहिए जिसमें उन्हें कठिनाई नहीं आये।

विभाग द्वारा राशि को त्रैमासिक भुगतान एवं समय पर भुगतान नहीं करने का मुख्य कारण स्टाफ की कमी बतायी है। अनुदान की राशि कोषालय से विपत्र पारित होने के पश्चात् बैंक से ड्राफ्ट बनावाकर भुगतान किया जाता है। बैंक द्वारा इतनी अधिक मात्रा में ड्राफ्ट बनाने में प्रायः रूचि नहीं ली जाती है तथा समय पर ड्राफ्ट बनाकर नहीं दिये जाते हैं जिससे भुगतान में प्रायः विलम्ब हो जाता है। विभाग को समय पर भुगतान की समुचित व्यवस्था किये जाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

(3) **आवेदन स्वीकृति में विलम्ब :**

सर्वेक्षण के समय चयनित कुछ पालनहारों ने आवेदन प्रस्तुति के पश्चात स्वीकृति में 6 माह या इससे भी अधिक समय लगना बताया हैं। अतः उचित होगा विभाग द्वारा आवेदन स्वीकृति नियमानुसार नियमित रूप से प्रतिमाह जारी करनी चाहिए। जिन जिलों में आवेदन पत्र नियमानुसार स्वीकृत नहीं किये जा रहे है उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आवेदन पत्र प्रतिवर्ष प्राप्त कर स्वीकृत किये जाने चाहिए जिससे स्वीकृति में विसंगति न रह सके एवं रिकार्ड भी संधारित किया जाना चाहिए।

(4) **एक से अधिक बच्चों को अनुदान नही मिलनाः**

पालनहारों ने एक ही बच्चे के लिए अनुदान राशि दिये जाने की व्यवस्था होना बतलाया। एक से अधिक बच्चे होने पर अनुदान दूसरे बच्चे को प्राप्त नहीं होना बतलाया जिससे दूसरे बच्चे के लालन–पालन में विधवा माता पालनहारों ने कठिनाई महसूस की। इस सम्बन्ध में सुझाव दिया जाता है कि यदि सम्भव है तो विधवा माता

पालनहार को 2 बच्चे होने पर लालन–पालन हेतु दूसरे बच्चे के लिए भी अनुदान सहायता राशि के भुगतान का प्रावधान होना चाहिए जिससे वह दूसरे बच्चे को भी शिक्षा दिलवाकर सुसंस्कारित बना सके।

(5) **विधवा माता के पुनर्विवाह किये जाने मृत पिता की संतान को सम्मिलित करनाः**

जिस विधवा माता ने वैधानिक रूप से पुनर्विवाह कर लिया है उसके बच्चों के लिए योजनान्तर्गत अनुदान राशि नहीं दिये जाने का प्रावधान है। इन बच्चे के पालन–पोषण में कठिनाई महसूस किया जाना पाया गया।

इस सम्बन्ध में सुझाव दिया जाता है कि विधवा माता के वैधानिक रूप से पुनर्विवाह करने पर मृत पति की सन्तान जो दादी–चाची या अन्य के पास छोड़ गयी उन बच्चों को भी पालनहार योजना के अनुदान से लाभान्वित किया जाना चाहिए ताकि उन बच्चों की शिक्षा एवं पालन–पोषण की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

(6) **लाभान्वितों की आयु सीमा कम होना :**

15 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को लाभ नहीं दिया जाना पाया गया है। इस सम्बन्ध में 15 वर्ष से अधिक आयु के अनाथ बच्चों की उच्च शिक्षा की व्यवस्था पर भी विभाग को विचार करना चाहिए। आयु सीमा 15 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर नवीन वर्ग को सम्मिलित किया जाकर योजना का विस्तार करने हेतु भी प्रस्ताव दिया। उनके द्वारा माता–पिता में से किसी एक की मृत्यु होने, शारीरिक/मानसिक रूप से विकलांग होने, पुलिस थाने की रिपोर्ट के अनुसार माता–पिता के लापता होने, दोनों के विकलांग होने को योजना में सम्मिलित किये जाने हेतु सुझाव दिया।

(7) **अधिकारियों की नियमित निरीक्षण व्यवस्था का अभाव :**

अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण व्यवस्था का अभाव पाया गया। इस सम्बन्ध में सुझाव है कि योजना में लाभार्थी की समस्याओं के निराकरण हेतु नियमित निरीक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए।

(8) **अन्य विशेष विवरण** :

(1) लाभार्थियों को डी.डी. के माध्यम से भुगतान किया जाता है, डी.डी. बनाने में बैंक द्वारा अधिक समय लग जाता है जिससे योजना का लाभ समय पर नहीं मिल पाता है।

(2) आवेदक के खाता खुलवाने की समस्या रहती है, आई.डी. की कठिनाई रहती है। चैक बनाने में/ड्राफ्ट बनाने में बैक द्वारा आनाकानी की जाती है जिसमें काफी समय लग जाता है। एस.बी.बी.जे. बैंक खाता खोलने के लिए कदाचित तैयार नहीं होता है। लाभार्थियों के खाते प्रायः ग्रामीण बैंक एवं सहकारी बैकों में होने से ऑन–लाइन जमा करवाना भी संभव नहीं हो पाता है।

(3) योजना के संचालन हेतु पृथक राशि का आवंटन नहीं होने से सामान्य परिचालन व्यय जैसे–स्टेशनरी आदि की कठिनाई रहती है, साथ ही डी.डी. बनाने का व्यय भी लाभार्थी को स्वीकृत राशि से ही कराया जाता है।

(4) उच्च स्तर से खाता खोलने की व्यवस्था होनी चाहिए। खाता खोलने की व्यवस्था का सरलीकरण होना चाहिए जिससे लाभार्थियों को समय पर भुगतान प्राप्त हो सके। जिलाधिकारी के पदनाम से बैंक में खाता खुलवाने की अनुमति दी जावे जिससे पृथक चैक बुक जारी करवायी जाकर लाभार्थी को समय पर भुगतान किया जा सके।

(5) प्रत्येक पालनहार की कैश फाइल संधारित की जानी आवश्यक होनी चाहिए तथा योजना की राशि बढ़ाई जानी चाहिए।

(6) कार्यालय में रिक्त पदों पर लिपिकीय संवर्ग को समानीकरण किया जाना चाहिए। जहाँ पर कर्मचारियों की कमी है वहाँ पर उनकी नियुक्ति की जानी चाहिए। योजना के संचालन हेतु कम्प्यूटर आपरेटर द्वारा रिकार्ड संधारण की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(7) अध्ययन के दौरान किसी भी बालक/बालिका के छात्रावास में अध्ययन नहीं करना पाया गया। अतः सम्बन्धित जिला अधिकारियों द्वारा बालक के 15 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात् विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में प्रवेश दिलवाने की व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए और इस सम्बन्ध में पालनहारों को जानकारी प्रदान करने हेतु विज्ञापन/प्रचार–प्रसार माध्यम से अवगत करवाने की सुव्यवस्थित व्यवस्था पर विभाग को ध्यान देना चाहिए।

XVII. योजना की उपयोगिता :

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित पालनहार योजना में अनाथ बालक/बालिका एवं निराश्रित पेंशन प्राप्त विधवा माता के बालक/बालिका को अध्ययन हेतु मिलने वाली राशि से लाभान्वित किया जा रहा है योजनान्तर्गत आर्थिक सहयोग प्रदान कर उनके जीवन को सुचारू रूप से अनुदान उपलब्ध करवाकर उनके जीवन निर्वाह की स्थिति में सुधार किया जाकर सहयोग प्रदान किया जा रहा है। उत्तरदाताओं ने पालनहार योजना को उपयोगी बतलाया। अनाथ बच्चों को पारिवारिक माहौल मिल जाने से उन्हें अनाथ होने का अहसास नहीं होता है। योजना को पालनहार विधवा माता एवं अनाथ बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए उत्तम बतलाया गया है।

————

अध्याय – प्रथम

अध्ययन संरचना

1.1.0 परिचयात्मक विवरण :

1.1.1 समाज में ऐसे बच्चे (बालक–बालिका) भी होते हैं जिनके माता–पिता दोनों ही किसी दुर्घटना अथवा बीमारी के कारण कालग्रसित हो गये हैं। गर्भ में पले इन शिशुओं को जन्म लेने के पश्चात् जीवन जीने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। जन्म के पश्चात् बच्चे की परवरिश का नैसर्गिक, नैतिक एवं कानूनी अधिकार तथा दायित्व उनके माता–पिता का होता है, किन्तु समाज में ऐसे अबोध एवं अनाथ बच्चे जिनके माता–पिता दोनों ही किसी दुर्घटना अथवा बीमारी के कारण अपने बच्चों को इस दुनिया में अकेले छोड़कर चले गये हैं। इन अभागे बच्चों के लालन–पालन के लिए सामान्यतः कोई भी पालनहार नहीं है ऐसी स्थिति एक भंयकर त्रासदी से कम नहीं होती है। क्योंकि इन बेसहारा अबोध बच्चों की परवरिश एवं देखरेख करने वाला कोई नहीं होता है। देखरेख, लालन–पालन के अभाव में बेसहारा बच्चों को अच्छा वातावरण नहीं मिलने से न तो ठीक ढ़ंग से लालन–पालन होता है और नहीं उन्हें अच्छे संस्कार मिल पाते हैं। ऐसे बच्चों में पर्याप्त सुसंस्कार के अभाव एवं दुसंगत के कारण अपराधिक प्रवृत्तियां एवं दुष्प्रवृत्तियां उत्पन्न होने की प्रबल संभावना होती है जिससे उनका सर्वस्व जीवन संतप्त बनने की आशंका बनी रहती है। अतः ऐसे अनाथ बच्चों के जीवन को निराशा, अवसाद, दुःख एवं अपराध से दूर रखने के लिए उनका उचित पारिवारिक वातावरण में लालन–पालन किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। अतः ऐसे बच्चों को शिक्षा की सुविधा एवं सुसंस्कारवान बनाने हेतु पालनहार योजना राजस्थान राज्य में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से संचालित की जा रही है।

1.2.0 पालनहार योजना से अभिप्राय :

1.2.1 समाज में जिन बच्चों के माता एवं पिता दोनों की ही किसी दुर्घटना या बीमारी के कारण मृत्यु हो गई है अथवा उन्हें आजीवन कारावास/मृत्यु दण्ड़ की सजा हो गई है, ऐसे बच्चे अकेले रह जाते हैं। ऐसी स्थिति में इन बच्चों का बचपन तो छिन ही जाता है साथ ही इनकी देखरेख एवं लालन–पालन करने वाला भी कोई नहीं होता है। ऐसे अनाथ बच्चों का बचपन बहुत ही कष्टकारी एवं दुखमय हो जाता है। अतः यह दुःखद स्थिति न तो सभ्य समाज के लिए उचित है एवं न ही एक लोक कल्याणकारी सरकार के लिए। अतः एक लोक कल्याणकारी सरकार का दायित्व हो जाता है कि ऐसे अनाथ अबोध बच्चों का लालन–पालन उचित देखरेख में करवाया जावें। राज्य सरकार ने अनाथ बालक/ बालिकाओं के लालन–पालन हेतु बालक/बालिका गृह

खोल रखे हैं जिसमें भोजन, वस्त्र, रहने आदि की सुविधा दी जाती है। इन राजकीय गृहों में पालन–पोषण तो हो जाता है, परन्तु बच्चों को पारिवारिक परिवेश उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये राज्य सरकार द्वारा ऐसे अनाथ बच्चों के लालन–पालन हेतु दिनांक 8–2–2005 से **''पालनहार योजना''** सम्पूर्ण राज्य में प्रारम्भ की गयी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा ''पालनहार योजना संचालन नियम 2005 एवं संशोधित नियम 2007'' के अन्तर्गत संचालित की जा रही है एवं समय–समय पर इन नियमों में आवश्यक व्यावहारिक संशोधन भी किये जाते रहे हैं। प्रारम्भ में यह योजना अनुसूचित जाति के अनाथ बच्चों के लिए संचालित/क्रियान्वित की गई थी किन्तु बाद में नियमों में संशोधन कर इसका विस्तार करते हुये दिनांक 1–8–2005 से समस्त जातियों के अनाथ बच्चों के लिए इस योजना को क्रियान्वित किया गया।

1.2.2 **''अनाथ''** बच्चों से तात्पर्य ऐसे बालक/बालिकाओं से है जिनके माता एवं पिता दोनों की ही मृत्यु हो चुकी हो अथवा उनको न्यायिक आदेशों के तहत मृत्यु दण्ड़ या आजीवन कारावास की सजा हो चुकी हो अथवा माता–पिता दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो चुकी हो एवं दूसरे को मृत्युदण्ड़ या आजीवन कारावास की सजा हो चुकी हो, को पात्र माना गया है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2007–08 की बजट घोषणाओं की अनुपालना में ऐसे बालक/बालिका को भी अनाथ माना गया है जिसके पिता की मृत्यु हो चुकी हो एवं विधवा माता निराश्रित पेंशन प्राप्त कर रही हो। इस प्रकार निराश्रित पेंशन हेतु पात्र विधवा के बालक/बालिका को भी इस योजना में अनाथ माना गया है।

1.2.3 **''पालनहार''** से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने योजनान्तर्गत अनाथ बच्चों के रूप में परिभाषित बच्चों को भोजन, वस्त्र, आवास, प्रारम्भिक शिक्षा, चिकित्सा व अन्य आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति का दायित्व लिया है। ऐसे पालनहार की वार्षिक आय 1.20 लाख रुपये से कम होनी चाहिए किन्तु निराश्रित पेंशन पात्र विधवा महिलाओं के बच्चों के लिए विधवा महिला स्वयं पालनहार होगी। निराश्रित बालक/बालिका के कोई भी रिश्तेदार पालनहार हो सकते हैं।

1.3.0 पालनहार योजना का क्रियान्वयन :

1.3.1 राजस्थान सरकार द्वारा ''सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग'' के माध्यम से पालनहार योजना का क्रियान्वयन राज्य के समस्त जिलों में दिनांक 8–2–2005 से किया जा रहा है। योजनान्तर्गत सहायता राशि स्वीकृत करने हेतु नियमों में संशोधन समय–समय पर किये जाते रहे हैं।

1.4.0 पालनहार योजना संचालन नियम एवं अनुदान :

1.4.1 पालनहार योजना के संचालन नियम 2005 एवं संशोधित नियम 2007 के अन्तर्गत अनाथ बच्चों को पालने के लिए पालनहार को राज्य सरकार द्वारा अनुदान स्वीकृत किया जाता है। पालनहार को 5 वर्ष की आयु तक के अनाथ बच्चों हेतु 500/– रुपये प्रतिमाह की दर से तथा बालक/बालिका के स्कूल में दाखिला लेने के बाद 675/– रुपये प्रतिमाह की दर से प्रति बालक अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। इसके अतिरिक्त कपड़े, जूते, स्वेटर आदि के लिए 2000/– रुपये प्रति अनाथ बच्चे की दर से वार्षिक एकमुश्त अनुदान दिया जाता है। वर्ष 2007–08 में योजना का विस्तार किया जाकर निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा महिला के मामले में उसके केवल एक बच्चे के लिए 5 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक 500/– रुपये प्रतिमाह एवं 15 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक 675/– रुपये प्रतिमाह अनुदान देय है। इन्हें वार्षिक एकमुश्त राशि 2000/– रुपये देय नहीं होती है। ऐसी निराश्रित पेंशन पात्र विधवा महिला के एक से अधिक सन्तान होने की स्थिति में उसकी द्वितीय सन्तान के 15 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक एक बच्चे के लिए ही मासिक अनुदान देय होगा। इन्हें वार्षिक एकमुश्त 2000/–रुपये राशि देय नहीं होती है। पालनहार व्यक्ति को अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में सम्बन्धित विभाग के जिला स्तर के अधिकारी को देना होता है जिसे जाँच करने के पश्चात् वह अनुदान स्वीकृत करता है। पालनहार द्वारा सन्तोषजनक कार्य नहीं करने की स्थिति में जिला अधिकारी पालनहार को बदल सकता है।

1.5.0 योजना की शर्तें–पात्रता :

1.5.1 पालनहार योजना के लिए संचालन नियम 2005 संशोधित नियम 2007 तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर के द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार निम्न प्रमुख शर्तें एवं पात्रतायें निर्धारित की गई है :–

(i) योजना में अनाथ बच्चे की परिभाषा में चिन्हित बच्चे तथा उसके पालन करने वाले पालनहार को आवेदन की तिथि से कम से कम 3 वर्ष की अवधि से राजस्थान राज्य में निवास करना आवश्यक है।

(ii) ऐसे चिन्हित अनाथ बच्चे की उम्र जन्म से लेकर 18 वर्ष तक की होनी चाहिए।

(iii) यदि अनाथ बच्चे के वयस्क सगे भाई कमाने वाले हो किन्तु किन्हीं कारणों से बच्चे को अपने पास नहीं रखते हो तो ऐसे बच्चे योजना के पात्र नहीं होंगे।

(iv) योजना में ऐसे बच्चे जिनके पिता जीवित नहीं है/लापता है एवं माता नाते चली गई है/निःशक्त है, को अनाथ नहीं माना जावेगा।

(v) अनाथ बच्चों को 2 वर्ष से 5 वर्ष की उम्र में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर तथा 5 वर्ष से अधिक की उम्र के बाद स्कूल में प्रवेश दिलाना अनिवार्य है। 6 वर्ष या अधिक आयु के अनाथ बच्चे यदि स्कूल में प्रवेशित नहीं होते हैं तो योजना में उनको पात्र नहीं माना जावेगा एवं योजना का लाभदेय नहीं होगा।

(vi) 15 वर्ष की उम्र पूरी हो जाने के बाद इन बच्चों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में रखा जावेगा। छात्रावासों में अवकाश होने पर इन बच्चों को पालनहार द्वारा रखा जावेगा जिसके लिए पालनहार को अवकाश अवधि के अनुपात में मासिक अनुदान देय होगा किन्तु वार्षिक एकमुश्त राशि 2000/– रुपये देय नहीं होगी।

(vii) ऐसे अनाथ बच्चों की सम्पत्ति का विवरण सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा तहसीलदार/नगर पालिका/ग्राम पंचायत को दिया जावेगा जिसकी रक्षा/सुरक्षा की जिम्मेदारी (ऐसे बच्चों के वयस्क होने तक) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की होगी।

(viii) विधवा महिला को अपने बच्चों के लिए योजनान्तर्गत सहायता प्राप्त करने हेतु निराश्रित पेंशन की पात्रता पूर्ण करना आवश्यक है एवं इस हेतु आवश्यक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने होंगे जिसमें परिवार के वयस्क सदस्यों का विवरण तथा पति का मृत्यु प्रमाण–पत्र के स्थान पर पी.पी.ओ. प्रस्तुत करना होगा।

(ix) पालनहार ऐसे अनाथ बच्चों को अपने घर में रखेगा एवं ऐसे बच्चों को घर जैसी सामान्य सुविधाऐं देना आवश्यक है।

(x) पालनहार के परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।

(xi) पालनहार को बच्चे के माता–पिता का मृत्यु प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(xii) ऐसे अनाथ बच्चों के लिए वार्ड पार्षद/सरपंच द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र दिया जाना आवश्यक है जिसमें यह उल्लेख होगा कि बच्चे अनाथ है वे उल्लेखित पालनहार के घर पर रहते है जो उनकी पूरी देखभाल करता है।

(xiii) पालनहार द्वारा अपना आवेदन पत्र सम्बन्धित विभाग के जिला अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा जिसकी जाँच के उपरान्त जिला अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जावेगा।

(xiv) जिला अधिकारी द्वारा पालनहार योजना की स्वीकृति नियमित रूप से प्रतिमाह जारी की जावेगी एवं प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में सहायता/अनुदान के भुगतान की कार्यवाही की जावेगी इसके अन्तर्गत पालनहार को भुगतान स्वयं जिला अधिकारी या उसके कर्मचारी द्वारा उसके घर जाकर किया जावेगा।

(xv) पालनहार द्वारा अनाथ बच्चों की उचित देखभाल नहीं करने या सन्तोषप्रद कार्य नहीं करने की स्थिति में जिला अधिकारी द्वारा पालनहार को बदला जा सकता है।

1.6.0 पालनहार योजना के उद्देश्य :

1.6.1 राज्य सरकार द्वारा अनाथ बच्चों के जीवन रक्षा एवं उनमें शारीरिक एवं मानसिक विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने तथा बच्चों को लालन–पालन का पारिवारिक वातावरण उपलब्ध करवाने हेतु पालनहार योजना निम्न उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुये संचालित की जा रही है :–

(i) अनाथ बच्चों का पालन–पोषण एवं उनकी देखरेख कर उन्हें आर्थिक एवं सामाजिक सम्बल प्रदान करना।

(ii) ऐसे बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाकर उनके जीवन को सुसंस्कारित बनाना।

(iii) अनाथ बच्चों की सम्पत्ति/परिसम्पत्ति की सुरक्षा करना।

(iv) अनाथ बच्चों के पालन–पोषण करने वाले पालनहारों को प्रोत्साहित करना।

1.7.0 पालनहार योजना की प्रगति :

1.7.1 राज्य में पालनहार योजना फरवरी,2005 से राज्य के समस्त जिलों में क्रियान्वित/संचालित की जा रही है जिसके अन्तर्गत अनाथ बच्चों के पालन–पोषण हेतु पालनहारों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुदान/सहायता राशि का वितरण किया जा रहा है। राज्य में गत चार वर्षों में योजना की प्रगति का विवरण निम्न तालिका में तथा संभागवार एवं जिलेवार विवरण ***परिशिष्ट–I*** में दर्शाया गया है।

वित्तीय एवं भौतिक प्रगति

वर्ष	योजनान्तर्गत जिलों को स्वीकृत/वितरित राशि (लाख रुपयों में)	व्यय राशि (लाख रुपयों में)	लाभान्वित अनाथ बालक/बालिकाओं की संख्या
2004–05	6.31	3.13	368
2005–06	78.61	76.80	1413
2006–07	219.16	215.32	2973
2007–08	792.12	792.12	18014
2008–09	1541.43	1541.43	24692

स्त्रोत– सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्राप्त सूचनानुसार।

1.8.0 मूल्यांकन की आवश्यकता :

1.8.1 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अनुशंसा पर शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार इस योजना का अध्ययन राज्य के मूल्यांकन संगठन द्वारा किया गया।

1.9.0 मूल्यांकन के उद्देश्य :

1.9.1 पालनहार योजना के मूल्यांकन हेतु निम्न उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं :–

(i) योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करना।

(ii) योजनान्तर्गत आवेदन करने से स्वीकृति तक लगने वाले समय को ज्ञात करना।

(iii) योजना की उपयोगिता का विश्लेषण करना।

(iv) पालनहार द्वारा अनाथ बच्चों को उपलब्ध करवायी जा रही सुविधाओं की समीक्षा करना एवं लाभान्वित बच्चों की वर्तमान स्थिति ज्ञात करना एवं सत्यापन करना।

(v) उपलब्ध करवायी जा रही निर्धारित अनुदान राशि की पर्याप्तता, सामयिक वितरण एवं उपयोग का आकलन करना।

(vi) योजना के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाईयाँ ज्ञात कर, योजना के प्रभावी संचालन हेतु सुझाव देना।

1.10.0 **न्यादर्श परिकल्पना :**

1.10.1 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान द्वारा योजनान्तर्गत वर्ष 2004–05 से 2007–08 तक की उपलब्ध करवायी गई वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचनाओं के अनुसार वर्तमान में उक्त योजना राज्य के 32 जिलों में संचालित की जा रही है। मूल्यांकन हेतु समय एवं संसाधनों को ध्यान में रखते हुये अध्ययन हेतु बहु–स्तरीय न्यादर्श पद्धति (Multi Stage Random Sampling) के आधार पर न्यादर्श का चयन निम्न प्रकार से किया गया है :–

(क) प्रथम स्तर पर वर्ष 2007–08 तक की उपलब्ध जिलेवार भौतिक प्रगति की संचयी सूचनाओं को संभागवार घटते हुये क्रम में जमाया जाकर 50 प्रतिशत संभागों का चयन किया गया है। चयन के समय सर्वाधिक लाभार्थी वाले तीन संभागों के साथ–साथ एक आदिवासी क्षेत्र के संभाग का चयन किया गया है। इस प्रकार **परिशिष्ट–I** के आधार पर सर्वाधिक लाभार्थी वाले 3 संभागों में क्रमशः जोधपुर, अजमेर एवं कोटा का तथा आदिवासी क्षेत्र वाले उदयपुर संभाग का चयन किया गया है।

(ख) द्वितीय स्तर पर प्रत्येक चयनित संभाग से वर्ष 2007–08 में सर्वाधिक लाभ प्राप्तकर्त्ताओं की संख्या वाले एक–एक जिले का चयन किया गया जिसके अनुसार जालौर, भीलवाड़ा, बांरा तथा आदिवासी क्षेत्र के डूंगरपुर जिले को चयनित किया गया।

(ग) तृतीय स्तर पर चयनित जिले में कार्यरत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कार्यालय से पंचायत समितिवार एवं नगर पालिकावार लाभान्वितों की संख्यावार सूचनाऐं प्राप्त कर उनमें से सर्वाधिक लाभान्वितों वाली एक–एक नगर निकाय तथा एक–एक पंचायत समिति का चयन किया गया। इस प्रकार अध्ययन हेतु चयनित चारों जिलों से 4 नगर निकाय यथा–जालौर, भीलवाड़ा, बांरा एवं डूंगरपुर एवं 4 पंचायत समितियाँ आहौर, मांडल, अटरू एवं सागवाड़ा को मूल्यांकन हेतु चयनित किया गया।

(घ) चतुर्थ स्तर पर चयनित नगर निकाय एवं पंचायत समिति के अनाथ बच्चों (लाभान्वितों) को पालने वाले पालनहारों की अधिकतम संख्या के आधार पर नगर निकाय एवं पंचायत समितियों को जमाया जाकर अधिकतम पालनहार वाले दो–दो वार्ड एवं दो–दो ग्राम पंचायतों का चयन किया गया। इस प्रकार अध्ययन हेतु चयनित चारों जिलों से नगर निकायों के 8 वार्ड तथा पंचायत समितियों की 8 ग्राम पंचायतों जालौर से आहौर एवं अगवरी, भीलवाड़ा से मांडल एवं भगवानपुरा, बांरा से अटरू एवं कवाई तथा डूंगरपुर से डेचा एवं सरोदा को चयनित किया गया।

(च) पंचम् स्तर पर प्रत्येक चयनित वार्ड एवं ग्राम पंचायत क्षेत्र में अनाथ बच्चों को पालने वाले पालनहारों की सूची में से कम से कम 10 लाभ प्राप्तकर्त्ताओं का चयन किया गया जिनमें जहाँ तक संभव हो 4 निराश्रित पेंशन प्राप्त विधवा माताओं के लाभार्थियों से एवं 6 पालनहार के घर पर लाभ प्राप्त कर रहे अनाथ लाभार्थियों से लाभार्थी अनुसूची भरी जानी थी। इस अनुपात में संख्या उपलब्ध नहीं होने के कारण जो लाभार्थी उपलब्ध थे उनसे अनुसूची भरी गई। चयनित लाभ प्राप्तकर्त्ताओं के साथ पालनहार स्वतः ही चयनित माना गया। एक पालनहार के यहाँ एक से अधिक लाभार्थी लाभ प्राप्त कर रहे हैं तो उस स्थिति में सबसे अधिक आयु वाले लाभार्थी का चयन कर अनुसूची भरी गयी। इस प्रकार अध्ययन हेतु चयनित प्रत्येक जिले से कुल 40 लाभार्थी अनुसूची एवं उसके साथ संलग्न चयनित पालनहार अनुसूची भरी गयी। इस प्रकार चयनित चारों जिले यथा– जालौर, भीलवाड़ा, बांरा एवं डूंगरपुर से विधवा माता एवं अनाथ पालनहार तथा निराश्रित पेंशन प्राप्त विधवा माता एवं अनाथ लाभार्थी से सम्पर्क कर लाभार्थी अनुसूचियाँ भरी गयी।

1.11.0 अध्ययन हेतु निर्धारित अनुसूचियाँ :

1.11.1 मूल्यांकन अध्ययन के क्षेत्र कार्य हेतु निम्न प्रकार की अनुसूचियाँ प्रयुक्त कर सूचनाऐं एकत्रित किये जाने का प्रावधान रखा गया :–

(1) **प्रलेख अनुसूची :**

इस अनुसूची में राज्य स्तर एवं चयनित जिलों में योजना की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति सम्बन्धी सूचनाऐं एकत्रित की गयी जिनमें अनाथ लाभार्थी बालक/बालिकाओं की संख्या, अनुदान/सहायता राशि, पालनहारों की संख्या, राज्य सरकार से विभाग को प्राप्त राशि व उसके उपयोग सम्बन्धी सूचनाऐं एकत्रित की गयी।

(2) **लाभार्थी अनुसूची :**

यह अनुसूची योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने वाले अनाथ बालक/बालिका लाभार्थियों से भरी गई। इस अनुसूची में पालनहार द्वारा उन्हें उपलब्ध करवायी जा रही सुविधाओं, सामग्री, शैक्षणिक स्थिति के साथ–साथ लाभार्थी के अनाथ होने से पूर्व की पारिवारिक पृष्ठभूमि एवं वर्तमान स्थिति तथा उनके लालन–पालन सम्बन्धी सन्तुष्टि/असन्तुष्टि, पालन–पोषण का स्तर एवं प्रभाव ज्ञात किया जा सके।

(3) **पालनहार अनुसूची :**

यह अनुसूची अनाथ बालक/बालिका के पालन पोषण करने वाले पालनहार से भरी गयी। इस अनुसूची में पालनहार द्वारा अनाथ बच्चों को दी जा रही सुविधाओं, सामग्री, उनकी देखरेख के साथ–साथ अनुदान राशि का वितरण, उपयोग एवं पर्याप्तता सम्बन्धी सूचनाओं तथा पालन–पोषण सम्बन्धी कठिनाइयाँ आदि से सम्बन्धित सूचनाऐं एकत्रित की गयी।

(4) **सरकारी/गैर–सरकारी अनुसूची :**

यह अनुसूची योजना से सम्बन्धित अधिकारियों से भरी गयी जिनमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारी, उपखण्ड़ अधिकारी, तहसीलदार, विकास अधिकारी, पंच, सरपंच, वार्ड मेम्बर/पार्षद, ग्राम सेवक/ग्राम सचिव/आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता तथा अन्य सरकारी/गैर– सरकारी अधिकारियों से भरी गई जो योजना की जानकारी रखते हैं। इस अनुसूची में योजना की जानकारी, उपयोगिता, लाभार्थियों/अनाथ बच्चों के पालन–पोषण का गुणात्मक स्तर, अनुदान राशि का वितरण, उपयोग, पर्याप्तता, लाभार्थियों की सन्तुष्टि/असन्तुष्टि आदि से सम्बन्धित सूचनाओं के साथ–साथ योजना के क्रियान्वयन/संचालन में आ रही कठिनाइयों एवं सुझावों को सम्मिलित करते हुये योजना से अनाथ लाभान्वित बच्चों पर पड़े प्रभावों का विवरण सम्मिलित किया गया।

(5) **अवलोकन टिप्पणी :**

क्षेत्रीय कार्य के दौरान क्षेत्रीय अनुसंधानकर्त्ताओं द्वारा एक विस्तृत अवलोकन टिप्पण तैयार किया गया जिसमें लाभार्थियों के अनाथ होने की पूर्व की पारिवारिक पृष्ठभूमि, योजना से लाभार्थियों पर पड़े प्रभाव, लाभार्थियों की वर्तमान मनोदशा/स्थिति एवं अनाथ होने के बाद पालनहारों द्वारा उनके पालन–पोषण सम्बन्धी सन्तुष्टि/असन्तुष्टि सम्बन्धी बिन्दुओं का अवलोकन कर संक्षिप्त तथ्यात्मक टिप्पण तैयार किया गया, साथ ही योजना की कमियाँ एवं सुझावों को भी उक्त टिप्पण में अंकित किया गया।

1.12.0 **संदर्भ अवधि :**

1.12.1 अध्ययन से सम्बन्धित प्रलेख सूचनाऐं वर्ष 2004–05 से 2007–08 तक की एकत्रित की गयी तथा लाभार्थियों, पालनहारों, सरकारी/गैर–सरकारी अधिकारियों तथा अनुसंधानकर्त्ताओं के विचार सर्वेक्षण तिथि से मार्च,2009 तक के अंकित किये गये।

———

अध्याय – द्वितीय

प्रगति समीक्षा

2.0 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित पालनहार योजना का संचालन राज्य के समस्त जिलों में वर्ष 2004–05 से किया जा रहा है। अनाथ बच्चे जिनके माता–पिता जीवित न हो, माता–पिता दोनों की अकाल मृत्यु या आजीवन कारावास की सजा हो जाने अथवा जिनके पालन–पोषण करने वाला कोई नहीं हो ऐसे बच्चों की परवरिश करने बाबत पालनहार योजना के माध्यम से सहायता/अनुदान राशि विभाग द्वारा स्वीकृत की जा रही है। पालनहार योजनान्तर्गत विभाग से प्राप्त राज्य प्रलेख, जिला प्रलेख, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों से प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण इस अध्याय में किया जा रहा है।

2.1.0 योजना की मोनिटरिंग व्यवस्था :

2.1.1 योजना की समीक्षा, मोनेटरिंग एवं निरीक्षण का जिम्मा राज्य सरकार के अधीन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को दिया गया है। जिला/पंचायत समिति में जिले में नियुक्त/पदस्थापित विभाग के अधिकारी व निदेशालय में योजना के क्रियान्वयन अधिकारी को प्रभारी अधिकारी बनाया गया है जिनके द्वारा जिले में आने वाली तकनीकी समस्याओं के निराकरण एवं नियन्त्रण हेतु देखरेख की जिम्मेदारी दी गई है।

2.2.0 राज्य स्तरीय वित्तीय प्रगति :

2.2.1 पालनहार योजना अन्तर्गत वर्ष 2004–05 से 2008–09 तक जिलों को आवंटित किया गया बजट एवं व्यय राशि का विवरण **परिशिष्ट–II** पर दर्शाया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

वर्षवार आवंटित बजट एवं व्यय राशि का विवरण

(राशि लाख रुपयों में)

वर्ष	जिलों को कुल आवंटित बजट	व्यय राशि	प्रतिशत
2004–05	6.31	3.13	49.60
2005–06	78.61	76.80	97.70
2006–07	219.16	215.32	98.25
2007–08	792.12	792.12	100.00
2008–09	1541.43	1541.43	100.00
योग	**2637.63**	**2628.80**	**99.67**

स्त्रोत– सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्राप्त सूचनानुसार।

2.2.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा वर्ष 2004–05 में 6.31 लाख रुपयों की राशि जिलों को आवंटित की गई जिसके विरूद्ध जिलों द्वारा 3.13 लाख रुपये (49.60 प्रतिशत) का व्यय किया गया। योजना का प्रारम्भ फरवरी,2005 में किये जाने के फलस्वरूप प्रारम्भिक वर्ष के अन्त में होने से आवंटित राशि के विरूद्ध 49.60 प्रतिशत राशि का ही उपयोग किया जाना संभव हो पाया है।

2.2.3 तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2005–06 एवं 2006–07 में विभाग द्वारा जिलों को आवंटित की गई राशि के विरूद्ध 97.70 एवं 98.25 प्रतिशत राशि को व्यय किया गया। वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 में आवंटित राशि का लगभग पूर्ण उपयोग किया गया अर्थात् शत–प्रतिशत राशि पालनहारों को लाभान्वित किये जाने हेतु व्यय की गई। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि विभाग द्वारा उपलब्ध समंकों के अनुसार योजनान्तर्गत बच्चों के भोजन, वस्त्र, आवास, कपड़े और प्रारम्भिक शिक्षा व अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राशि का पूर्ण उपयोग किया जा रहा है।

2.2.4 तालिका के और विश्लेषण किये जाने से स्पष्ट है कि वर्ष 2004–05 से 2008–09 तक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा कुल आवंटित बजट 2637.63 लाख रुपयों की राशि में से कुल 2628.80 लाख रुपये की राशि व्यय की गई जो कुल का 99.67 प्रतिशत है। इस प्रकार विभाग द्वारा आवंटित बजट का शत–प्रतिशत उपयोग किया जाना पाया गया जो कि वित्तीय प्रगति के संदर्भ में योजना के सफल क्रियान्वयन का द्योतक है।

2.2.5 पालनहार योजनान्तर्गत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा चयनित जिलों को आवंटित किया गया बजट एवं जिलों द्वारा व्यय की गई राशि का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

पालनहार योजना में चयनित जिलों को वर्षवार आवंटित बजट व व्यय का विवरण

(राशि लाख रुपयों में)

क्र. सं.	जिले का नाम	आवंटित बजट					व्यय राशि				
		04–05	05–06	06–07	07–08	08–09	04–05	05–06	06–07	07–08	08–09
1.	बांरा	0.23	3.29	8.00	68.99	68.00	0.00	1.48	7.99	68.99	68.00
2.	भीलवाड़ा	0.44	2.80	3.54	75.75	137.02	0.0135	2.80	3.54	75.75	137.02
3.	डूंगरपुर	0.05	3.78	9.00	36.80	55.34	0.05	3.78	9.00	36.80	55.34
4.	जालौर	0.11	2.44	5.97	75.62	109.99	0.11	2.44	5.98	75.62	109.99
	योग	**0.83**	**12.31**	**26.51**	**257.16**	**370.35**	**0.1735**	**10.50**	**26.51**	**257.16**	**370.35**

स्त्रोत– सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्राप्त सूचनानुसार।

2.2.6 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ष 2004–05 में 0.83 लाख रुपये की राशि के विरूद्ध 0.1735 (20.90 प्रतिशत) लाख रूपये की राशि ही चयनित जिलों द्वारा व्यय की गई। इसी प्रकार वर्ष 2005–06 में 12.31 लाख रुपये की आवंटित राशि में से 10.5 लाख रुपये (85.30 प्रतिशत) की, वर्ष 2006–07 में 26.51 लाख,

वर्ष 2007–08 में 257.16 लाख रुपये एवं वर्ष 2008–09 में 370.35 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई जिसके विरूद्ध शत–प्रतिशत राशि को व्यय किया गया। चयनित जिलों में भी आवंटित राशि के विरूद्ध व्यय राशि की प्रवृति लगभग समान पायी गयी है, परन्तु जालौर जिले में वर्ष 2006–07 में 5.97 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई थी जिसके विरूद्ध इसी वित्तीय वर्ष में 5.98 लाख रुपये की राशि व्यय की गई। जिले द्वारा आवंटित राशि से अधिक व्यय किये जाने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

2.3.0 योजना की भौतिक प्रगति :

2.3.1 पालनहार योजनान्तर्गत लाभान्वित किये गये अनाथ बालक/बालिकाओं की वर्ष 2004–05 से 2008–09 तक की जिलेवार प्रगति **परिशिष्ट–III** में दर्शायी गयी है।

2.3.2 पालनहार योजनान्तर्गत लाभान्वितों की वर्षवार प्रगति का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

राज्य स्तरीय वर्षवार भौतिक प्रगति

वर्ष	लाभान्वित बच्चे (संख्या)		
	विगत	नवीन	योग
2004–05	0	368	368
2005–06	368	1045	1413
2006–07	1413	1560	2973
2007–08	2973	15041	18014
2008–09	18014	6678	24692

स्त्रोत– सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्राप्त सूचनानुसार।

2.3.3 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ष 2004–05 में 368 अनाथ बच्चों को लाभान्वित किया गया, वर्ष 2005–06 में अनाथ बच्चों की संख्या में 1045, 2006–07 में 1560 अनाथ बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई, वर्ष 2007–08 में अनाथ बच्चों की संख्या में अचानक 15041 की वृद्धि हो गई। विभाग ने अवगत कराया कि वर्ष 2007–08 से पूर्व योजनान्तर्गत अनाथ बच्चों (जिनके माता–पिता की मृत्यु हो गयी हो/न्यायिक प्रक्रिया द्वारा कारावास से दण्ड़ित हो) को ही योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जा रहा था वर्ष 2007–08 में राज्य सरकार द्वारा निराश्रित पेन्शन के पात्र विधवा महिला की संतान को भी योजनान्तर्गत लाभान्वित करने का प्रावधान किया गया जिसके फलस्वरूप वर्ष 2007–08 व पश्चात्वर्ती वर्षो में लाभान्वितों की संख्या में अचानक बढ़ोतरी हुई हैं एवं वर्ष 2008–09 में 6678 संख्या रह गयी।

2.3.4 पालनहार योजनान्तर्गत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा वर्ष 2004–05 से वर्ष 2008–09 तक लाभान्वित किये गये अनाथ बच्चों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

चयनित जिलों में लाभान्वित अनाथ बच्चों का वर्षवार विवरण

(संचयी संख्या)

क्र. सं.	चयनित जिले का नाम	वर्षवार व जिलेवार लाभान्वित अनाथ बच्चों की संख्या				
		2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09
1.	बांरा	0	35	120	1551	1453
2.	भीलवाड़ा	2	51	115	1840	2607
3.	डूंगरपुर	2	92	158	515	728
4.	जालौर	22	39	89	1677	1878
	योग	**26**	**217**	**482**	**5583**	**6666**

स्त्रोत– सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्राप्त सूचनानुसार।

2.3.5 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ष 2004–05 से 2008–09 तक कुल 6666 लाभान्वित किये गये अनाथ बच्चों में से वर्ष 2004–05 में 26, 2005–06 में 217, 2006–07 में 482, 2007–08 में 5583 एवं वर्ष 2008–09 में 6666 (100.00 प्रतिशत) अनाथ बच्चों को लाभान्वित किया गया। तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि योजना फरवरी 2005 से प्रारम्भ होने के संदर्भ में वर्ष 2004–05 में बांरा जिले में अनाथ बच्चों को लाभान्वित करने की सूचना शून्य बतायी गई है, वर्ष 2005–06 में 35 अनाथ बच्चे लाभान्वित होने पाये गये, वर्ष 2007–08 व 2008–09 में अनाथ बच्चों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। योजना प्रारम्भ करने के पश्चात् प्रतिवर्ष लाभान्वितों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है इस प्रकार अनाथ बच्चों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होने के साथ उनको लाभान्वित भी अधिक मात्रा में किया गया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि बांरा जिले में वर्ष 2008–09 में 1453 बच्चों को ही लाभान्वित किया जाना बताया गया है जो वर्ष 2007–08 में 1551 से कम दर्शाया गया है इस कमी के कारण से विभाग द्वारा अवगत करवाया कि योजनान्तर्गत लाभान्वितों की पात्रता व आयु सीमा निर्धारित है समय के साथ लाभान्वितों की आयु सीमा/पात्रता पार कर जाने के कारण लाभान्वितों की संख्या में वृद्धि/कमी हुई है।

2.3.6 चयनित जिलों से जिला प्रलेख अनुसूची में अनाथ बालक/बालिकाओं को पालनहारों द्वारा लाभान्वित किये जाने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त की गई जिसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

चयनित जिलों में लाभान्वित अनाथ बच्चों का वर्षवार विवरण

क्र. सं.	चयनित जिले का नाम	वर्षवार व जिलेवार लाभान्वित अनाथ बच्चों की संचयी संख्या			
		2004–05	2005–06	2006–07	2007–08
1.	बांरा	1	40	84	1218
2.	भीलवाड़ा	2	51	115	233
3.	डूंगरपुर	2	92	158	283
4.	जालौर	14	35	95	1494
	योग	**19**	**218**	**452**	**3228**

स्त्रोत– जिलों द्वारा प्राप्त प्रलेखीय सूचनानुसार।

2.3.7 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि जिलों द्वारा वर्ष 2004–05 में 19, वर्ष 2005–06 में 218, वर्ष 2006–07 में 452 एवं वर्ष 2007–08 में 3228 बालक/बालिकाओं को लाभान्वित किया जाना बतलाया गया।

2.3.8 यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर द्वारा दर्शायी गयी लाभान्वितों की संख्या एवं जिलों में स्थित कार्यालयों द्वारा उपलब्ध करायी गयी भौतिक प्रगति में अन्तर पाया जा रहा है। मुख्यालय द्वारा संधारित की जा रही सूचना से वित्तीय प्रगति भी प्रभावित होती है अतः वर्षान्त पुख्ता सूचना संधारित किया जाना सुनिश्चित कराया जावें ताकि प्रगति पृथक–पृथक नहीं आवे।

2.4.0 जिला स्तरीय प्रगति :

2.4.1 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित पालनहार योजना के मूल्यांकन हेतु चार संभाग यथा–जोधपुर, अजमेर, कोटा एवं आदिवासी क्षेत्र वाले उदयपुर संभाग का चयन किया गया है। चयनित चारों संभागों में से जालौर, भीलवाड़ा, बांरा तथा आदिवासी क्षेत्र के डूंगरपुर जिले को चयनित किया गया। प्रत्येक जिले से जिला स्तरीय प्रलेख सूचनाऐं एकत्रित की गई। चयनित जिलों से योजना प्रारम्भ से क्रियान्वयन किये जाने वाली एजेन्सी, जिलों को प्राप्त होने वाली राशि, व्यय राशि, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति सम्बन्धी विवरण लाभान्वित बच्चों को प्रदान किये जाने वाली अनुदान सहायता राशि एवं योजना में पायी जाने वाली कठिनाईयाँ एवं सुझावों का विवरण प्राप्त किया जिसका विस्तृत विवरण इस अध्याय में दिया जा रहा है।

2.5.0 जिले में पंचायत समिति/नगर निकाय का विवरण :

2.5.1 पालनहार योजना के अध्ययन हेतु चार जिले यथा–बांरा, भीलवाड़ा, डूंगरपुर एवं जालौर जिलों को चयनित किया गया। चयनित जिलों में योजना को प्रारम्भ करने का वर्ष, जिले में पंचायत समिति एवं नगर निकायों की संख्या का एवं योजना क्रियान्वित करने वाली एजेन्सी का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

योजनान्तर्गत जिलों का कार्य क्षेत्र

क्र. सं.	चयनित जिले	योजना प्रारम्भ का वर्ष	पंचायत समिति की संख्या	नगर निकाय की संख्या	योजना क्रियान्वित करने वाली एजेन्सी का नाम
1.	बांरा	2004–05	7	4	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
2.	भीलवाड़ा	2004–05	11	7	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
3.	डूंगरपुर	2004–05	5	2	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
4.	जालौर	2004–05	7	3	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
	योग		**30**	**16**	

स्त्रोत– जिलों द्वारा प्राप्त प्रलेखीय सूचनानुसार।

2.5.2 योजना क्रियान्विति हेतु कार्य क्षेत्र ग्रामीण 65.22 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्र 34.78 प्रतिशत था।

2.6.0 वित्तीय प्रगति :

2.6.1 चयनित जिलों में पालनहार योजनान्तर्गत वर्ष 2004–05 से वर्ष 2007–08 तक वर्षवार आवंटित की गई राशि, प्राप्त राशि एवं व्यय राशि का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

चयनित जिलों की वित्तीय प्रगति

(राशि लाख रुपयों में)

वर्ष	आवंटित राशि	प्राप्त राशि	व्यय राशि
2004–05	0.525	0.525	0.335
2005–06	12.32	12.32	12.30
2006–07	29.54	29.54	29.36
2007–08	238.77	238.77	194.18
योग	**281.155**	**281.155**	**236.175**

स्त्रोत– जिलों द्वारा प्राप्त प्रलेखीय सूचनानुसार।

2.6.2 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2004–05 से 2007–08 तक सभी जिलों को आवंटित राशि के अनुरूप ही राशि प्राप्त होना बतलाया है, आवंटित राशि 281.155 लाख रुपयों में से 236.175 लाख रुपये की राशि व्यय की गई जो कुल राशि का 84.00 प्रतिशत है, जबकि राज्य स्तर पर व्यय 99.67 प्रतिशत किया जाना बताया गया है। व्यय की गई राशि से अनाथ बच्चों को लाभान्वित किया गया है। सभी जिलों ने आवंटित राशि के अनुरूप ही राशि प्राप्त होना तथा मांग के अनुसार ही बजट राशि प्राप्त होना बतलाया तथा प्राप्त आवेदन पत्र एवं बजट आवंटन के अनुसार ही राशि स्वीकृत एवं व्यय करना बतलाया।

2.6.3 पालनहार योजनान्तर्गत जिलों से प्राप्त प्रलेख सूचनाओं के अनुसार वर्षवार स्वीकृत राशि एवं व्यय राशि का उपयोग चयनित पंचायत समिति एवं नगर पालिकाओं में किया गया। जिलों से प्राप्त समंकों के अनुसार प्राप्त विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

पंचायत समितिवार स्वीकृत राशि एवं व्यय राशि का विवरण

(राशि लाख रुपयों में)

क्र. सं.	चयनित जिला	पंचायत समिति संख्या	2004–05		2005–06		2006–07		2007–08		योग	
			स्वीकृत राशि	व्यय राशि	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	स्वीकृत राशि	व्यय राशि
1.	बांरा	7	0.04	0.04	1.72	1.72	4.38	4.38	55.96	55.96	62.10	62.10
2.	भीलवाड़ा	11	0.135	0.135	2.8	2.8	5.81	5.81	10.8	10.8	19.545	19.545
3.	डूंगरपुर	5	0.05	0.05	3.66	3.66	8.62	8.62	33.37	33.37	45.70	45.70
4.	जालौर	7	0.07	0.07	2.23	2.23	5.8	5.8	67.17	67.17	75.27	75.27
	योग	**30**	**0.295**	**0.295**	**10.41**	**10.41**	**24.61**	**24.61**	**167.30**	**167.30**	**202.615**	**202.615**

स्त्रोत– जिलों द्वारा प्राप्त प्रलेखीय सूचनानुसार।

2.6.4 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि चयनित जिलों द्वारा वर्ष 2004–05 से 2007–08 तक स्वीकृत राशि के अनुसार शत–प्रतिशत राशि व्यय की गयी है। इससे स्पष्ट है कि विभागद्वारा पालनहार की संख्या एवं अनाथ बच्चों की संख्या के अनुसार पंचायत समिति द्वारा राशि की मांग की जाती है उसी के अनुरूप ही जिले द्वारा पंचायत समिति की मांग के अनुसार ही राशि का आवंटन किया जाना पाया गया।

2.6.5 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जिलों को आवंटित राशि में से वर्ष 2004–05 से वर्ष 2007–08 तक नगर निकायवार स्वीकृत राशि एवं व्यय राशि का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

स्थानीय निकायवार स्वीकृत एवं व्यय राशि का विवरण

(राशि लाख रुपयों में)

क्र. सं.	चयनित जिला	चयनित नगर पालिका संख्या	2004–05		2005–06		2006–07		2007–08		योग	
			स्वीकृत राशि	व्यय राशि	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	स्वीकृत राशि	व्यय राशि
1.	बांरा	4	0	0	1.56	1.56	3.61	3.61	13.03	13.03	18.20	18.20
2.	भीलवाड़ा	7	0	0	0.00	0.00	0.73	0.73	1.97	1.97	2.70	2.70
3.	डूंगरपुर	2	0	0	0.12	0.12	0.23	0.23	3.43	3.43	3.78	3.78
4.	जालौर	3	0.04	0.04	0.21	0.21	0.18	0.18	8.45	8.45	8.88	8.88
	योग	**16**	**0.04**	**0.04**	**1.89**	**1.89**	**4.75**	**4.75**	**26.88**	**26.88**	**33.56**	**33.56**

स्त्रोत– जिलों द्वारा प्राप्त प्रलेखीय सूचनानुसार।

2.6.6 जिलों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार चयनित नगर पालिकाओं में वर्ष 2004–05 से 2007–08 तक स्वीकृत राशि के अनुरूप ही राशि व्यय किया जाना पाया गया।

2.6.7 उपरोक्त तालिकाओं के अनुसार चयनित पंचायत समिति एवं नगर पालिकाओं में स्वीकृत राशि एवं व्यय राशि का वर्ष 2004–05 से 2007–08 तक विवरण निम्न तालिका में दिया जा रहा है :–

(राशि लाख रुपयों में)

क्र. सं.	चयनित जिलों की कुल	संख्या	2004–05		2005–06		2006–07		2007–08		योग	
			स्वीकृत राशि	व्यय राशि	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	स्वीकृत राशि	व्यय राशि
1.	पंचायत समिति	30	0.295	0.295	10.41	10.41	24.61	24.61	167.30	167.30	202.615	202.615
2.	नगर पालिका	16	0.04	0.04	1.89	1.89	4.75	4.75	26.88	26.88	33.56	33.56
	योग	**46**	**0.335**	**0.335**	**12.30**	**12.30**	**29.36**	**29.36**	**194.18**	**194.18**	**236.175**	**236.175**

2.6.8 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि वर्ष 2004–05 से 2007–08 तक चयनित जिलों की पंचायत समिति एवं नगर पालिका में व्यय राशि में क्रमशः 2004–05 में 0.335 लाख रुपये, 2005–06 में 11.956 लाख रुपये, 2006–07 में 17.06 लाख रुपये एवं 2007–08 में 164.82 लाख रुपये की राशि में बढ़ोत्तरी हुई है। इस प्रकार प्रतिवर्ष राशि में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है। अतः इस पर विभाग द्वारा बैंच मार्क सर्वेक्षण किया जाकर मांग अनुसार राशि के प्रावधान किये जाने पर विचार करना चाहिए।

2.7.0 भौतिक प्रगति (अनाथ बालक–बालिकाओं की प्रगति) :

2.7.1 पालनहार योजनान्तर्गत अनाथ बालक एवं बालिकाओं को वर्ष 2004–05 से 2007–08 तक चयनित जिले की नगर पालिका एवं पंचायत समिति में लाभान्वित किया गया जिसका विवरण निम्न तालिका में दिया जा रहा है :–

वर्षवार लाभान्वित अनाथ बालक/बालिकाओं की संख्या

(संख्या में)

क्र. सं.	चयनित जिला	2004–05			2005–06			2006–07			2007–08			योग		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1.	बांरा	1	–	1	20	20	40	49	35	84	724	494	1218	794	549	1343
2.	भीलवाड़ा	1	1	2	34	17	51	74	41	115	148	85	233	257	144	401
3.	डूंगरपुर	2	–	2	53	39	92	88	70	158	165	118	283	308	227	535
4.	जालौर	5	9	14	21	18	39	48	43	91	109	100	209	183	170	353
	योग	**9**	**10**	**19**	**128**	**94**	**222**	**259**	**189**	**448**	**1146**	**797**	**1943**	**1542**	**1090**	**2632**

2.7.2 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि चयनित चारों जिलों में वर्ष 2004–05 से 2007–08 तक कुल 2632 बालक/बालिकाओं को लाभान्वित किया गया जिसमें बालकों का 1542 (59.00 प्रतिशत) व 1090 (41.00 प्रतिशत) बालिकाओं को पालनहारों द्वारा पालन–पोषण कर आश्रय प्रदान किया गया एवं पालनहारों द्वारा अनाथ बच्चों की परवरिश कर उनको अच्छी तरह से जीवनयापन करने की सुविधा उपलब्ध करवायी गई।

2.7.3 उपरोक्त तालिका का विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि चयनित जिले में कुल लाभान्वित बालक 2632 में से 2004–05 में 19 (0.72 प्रतिशत), 2005–06 में 222 (8.44 प्रतिशत), 2006–07 में 448 (17.02 प्रतिशत), 2007–08 में 1943 (73.82 प्रतिशत) को लाभान्वित किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि वर्ष 2004–05 में योजना का आरम्भ किये जाने के पश्चात् प्रतिवर्ष लाभान्वित होने वाले बच्चों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है इससे स्पष्ट है कि अनाथ बच्चों को अधिक संख्या में सम्बल प्राप्त हुआ है।

2.8.0 निराश्रित विधवा माता की भौतिक प्रगति :

2.8.1 पालनहार योजना के संचालन हेतु संशोधित नियम 2007 से नियमों में संशोधन किया गया जिसकी पालना में पालनहार योजनान्तर्गत पेंशन प्राप्त निराश्रित विधवा माताओं को भी लाभान्वित किया है। लाभान्वित बालक/बालिकाओं की प्रगति निम्न तालिका में दर्शायी जा रही है :–

वर्षवार निराश्रित विधवा माता के लाभान्वित बालक/बालिका की संख्या

(संख्या में)

क्र. सं.	चयनित जिला	2007–08			योग		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1.	बांरा	640	436	1076	640	436	1076
2.	भीलवाड़ा	1083	524	1607	1083	524	1607
3.	डूंगरपुर	142	90	232	142	90	232
4.	जालौर	937	527	1464	937	527	1464
	योग	**2802**	**1577**	**4379**	**2802**	**1577**	**4379**

2.8.2 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि चयनित जिलों में वर्ष 2007–08 में कुल 4379 बालक/बालिकाओं को लाभान्वित किया गया जिसमें से 2802 (64.00 प्रतिशत) बालक एवं 1577 (36.0 प्रतिशत) बालिकाऐं पायी गई।

2.8.3 पालनहारों द्वारा बच्चों का उचित ढ़ंग से लालन–पालन किये जाने के सम्बन्ध में सभी ने उचित बतलाया। पालनहारों द्वारा सन्तोषजनक ढ़ंग से कार्य करने के कारण पालनहारों को बदलने की स्थिति नहीं आयी है।

2.9.0 अनाथ बच्चों की आयु सम्बन्धी विवरण :

2.9.1 अनाथ बच्चों को पालनहारों द्वारा लालन–पालन किया जा रहा है जिन बच्चों को पालनहारों द्वारा पाला जा रहा है उनकी आयु का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

चयनित जिलों में आयुवर्गवार लाभान्वितों का विवरण

(संख्या)

वर्ष	आयु					
	0–2 वर्ष	2–6 वर्ष	6–15 वर्ष	15–18 वर्ष	18 वर्ष से ऊपर	योग
2004–05	–	7	12	–	–	19
2005–06	1	26	195	–	–	222
2006–07	7	66	375	–	–	448
2007–08	27	229	1687	–	–	1943
योग	**35**	**328**	**2269**	**–**	**–**	**2632**

2.9.2 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से प्रतीत होता है कि चयनित चारों जिलों में वर्ष 2004–05 से 2007–08 तक कुल 2632 बालकों में से 0–2 वर्ष तक के 35 (1.33 प्रतिशत), 2–6 वर्ष तक के 328 (12.46 प्रतिशत) एवं 6–15 वर्ष के 2269 (86.21 प्रतिशत) के पाये गये। इस प्रकार सबसे अधिक उम्र के बच्चे 6–15 वर्ष के रहे है जिनका पालन पोषण पालनहारों द्वारा किया जा रहा है।

2.10.0 अनाथ बच्चों का जातिवार विवरण :

2.10.1 पालनहारों द्वारा लालन–पालन किये जा रहे अनाथ बच्चों का चयनित चारों जिलों में वर्ष 2004–05 से 2007–08 तक का जातिवार विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

अनाथ बच्चों का जातिवार विवरण

(संख्या)

वर्ष	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य वर्ग	अल्पसंख्यक वर्ग	योग
2004–05	18	–	1	–	–	19
2005–06	50	56	69	38	9	222
2006–07	80	133	165	54	16	448
2007–08	488	479	688	194	94	1943
योग	**636**	**668**	**923**	**286**	**119**	**2632**

2.10.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि कुल अनाथ 2632 बच्चों में से अनुसूचित जाति के 636 (24.2 प्रतिशत) अनुसूचित जनजाति के 668 (25.4 प्रतिशत), अन्य पिछड़ा वर्ग के 923 (35.0 प्रतिशत), सामान्य वर्ग के 286 (10.9 प्रतिशत) एवं अल्पसंख्यक वर्ग के 119 (4.5 प्रतिशत) बच्चे पालनहार योजना में लाभ प्राप्त कर रहे हैं। विश्लेषण से यह भी स्पष्ट है कि पालनहारों द्वारा पालन–पोषण किये जा रहे बच्चों में सर्वाधिक अनाथ बच्चे अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं तत्पश्चात् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बच्चे पाये गये।

2.11.0 **अनाथ बच्चों की शैक्षणिक गतिविधियाँ :**

2.11.1 पालनहारों द्वारा पालन–पोषण किये जा रहे अनाथ बच्चों का वर्ष 2004–05 से 2007–08 तक की शैक्षणिक गतिविधियों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

अनाथ बच्चों की शैक्षणिक गतिविधियों का वर्षवार विवरण

(संख्या)

वर्ष	आंगनबाड़ी में प्रवेशित बच्चों की संख्या (5 वर्ष तक)	प्राथमिक विद्यालय में प्रवेशित बच्चे (5 वर्ष से अधिक)	मिडिल स्कूल में प्रवेशित बच्चों की संख्या (15 वर्ष से कम)	माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्कूल में प्रवेशित बच्चे (18 वर्ष तक)	स्कूल में प्रवेश नहीं	योग
2004–05	–	9	10	–	–	19
2005–06	6	154	59	3	–	222
2006–07	9	261	163	15	–	448
2007–08	59	1183	586	115	–	1943
योग	**74**	**1607**	**818**	**133**	**–**	**2632**

2.11.2 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि आंगनबाड़ी में प्रवेशित बच्चों की संख्या कुल लाभान्वित 2632 बच्चों में से 74 (2.81 प्रतिशत), प्राथमिक विद्यालय में प्रवेशित बच्चे 1607 (61.06 प्रतिशत), मिडिल स्कूल में प्रवेशित बच्चे 818 (31.08 प्रतिशत) एवं माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्कूल में पढ़ रहे बच्चे 133 (5.05 प्रतिशत) पाये गये। इस प्रकार सर्वाधिक बच्चे प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले पाये गये तत्पश्चात् मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले सर्वाधिक बच्चे पाये गये।

———

अध्याय – तृतीय

अध्ययन के परिणाम

3.0 चयनित न्यादर्श का स्वरूप :

3.0.1 पालनहार योजनान्तर्गत 7 सम्भागों में से 50 प्रतिशत संभाग अर्थात् 4 संभागों का चयन किया जाकर सर्वाधिक लाभार्थी वाले तीन संभाग का चयन किया गया, साथ ही एक आदिवासी क्षेत्र का संभाग भी चयनित किया गया जिसके आधार पर क्रमशः जोधपुर, अजमेर, कोटा एवं उदयपुर संभाग का चयन किया गया। चयनित संभाग में से एक–एक जिले यथा– जालौर, भीलवाड़ा, बांरा एवं डूंगरपुर जिले को चयनित किया गया। अध्ययन के क्षेत्र कार्य के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से राज्य प्रलेख एवं चयनित चारों जिलों से जिला प्रलेख अनुसूचियों में सूचनाऐं एकत्रित की गई।

3.0.2 पालनहार योजना हेतु चयनित चारों जिलों से 4 नगर निकाय एवं 4 पंचायत समितियों को चयन किया गया। प्रत्येक नगर निकाय से 2–2 वार्डों एवं प्रत्येक पंचायत समिति में से दो–दो ग्राम पंचायतों का चयन किया गया। इस प्रकार चारों जिलों से 8 वार्ड एवं 8 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया। प्रत्येक वार्ड एवं ग्राम पंचायत क्षेत्र में अनाथ बच्चों को पालने वाले पालनहारों की सूची में से 10 लाभ प्राप्तकर्त्ताओं (बच्चे) एवं 10 पालनहारों का चयन किया जाकर पालनहार अनुसूची एवं 4 निराश्रित पेंशन प्राप्त एवं 6 पालनहार के घर पर लाभ प्राप्त कर रहे अनाथ लाभार्थियों से लाभार्थी अनुसूचियाँ भरने का प्रावधान रखा गया, परन्तु प्रत्येक वार्ड एवं ग्राम पंचायत में पालनहार एवं लाभार्थी निर्धारित संख्या में नहीं मिलने के कारण नगर निकाय एवं पंचायत समिति में उपलब्ध पालनहारों एवं निराश्रित पेंशन प्राप्त विधवा माता के बच्चे एवं अनाथ बच्चों से लाभार्थी अनुसूचियाँ भरी गई। साथ ही चयनित जिलों के सरकारी/गैर–सरकारी अधिकारियों से योजना के संचालन के सम्बन्ध में भी सूचनाऐं एकत्रित की गई। चयनित जिलों में न्यादर्श को मद्देनजर रखते हुए पालनहार, लाभार्थी एवं सरकारी/गैर–सरकारी अधिकारियों से भरी गई अनुसूचियों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

चयनित जिलों से भरी जाने वाली अनुसूचियों का विवरण

(संख्या)

क्र. सं.	चयनित जिले का नाम	पालनहार अनुसूची			लाभार्थी अनुसूची			सरकारी/गैर–सरकारी अनुसूची		
		विधवा माता	रिश्तेदार/ परिवार के चाची/ताई	योग	निराश्रित (पेंशन प्राप्त विधवा माता के) बच्चे	अनाथ बच्चे	योग	सरकारी	गैर–सरकारी	योग
1.	बांरा	35	6	41	35	6	41	6	4	10
2.	भीलवाड़ा	32	1	33	32	1	33	4	–	4
3.	डूंगरपुर	14	6	20	14	6	20	5	1	6
4.	जालौर	30	3	33	30	3	33	6	7	13
	योग	**111**	**16**	**127**	**111**	**16**	**127**	**21**	**12**	**33**

3.0.3 चयनित पालनहारों में से 111 विधवा माताऐं, 16 परिवारों के चाची/ताई/दादी/नानी आदि रिश्तेदार थे। इस प्रकार 127 पालनहार से सम्पर्क कर पालनहार अनुसूची एवं 127 लाभार्थी बच्चों से लाभार्थी अनुसूची भरी गई। अध्ययन से ज्ञात होता है कि विधवा माताऐं अधिकांश रूप में पालनहार थी। जिन बच्चों के माता–पिता दोनों ही नहीं थे ऐसे निराश्रित बच्चों के पालनहारों में से 5 दादी, 5 नानी एवं 6 परिवार के चाची/ताई आदि के द्वारा अनाथ बच्चों का पालन किया जा रहा था अर्थात् वे अनाथ बच्चों की पालनहार थी। इस प्रकार अनाथ बच्चों को पालने वाली पालनहार उनके समीप की रिश्तेदार पायी गई।

3.1.0 पालनहारों का विवरण :

3.1.1 पालनहार योजनान्तर्गत चयनित जिलों में पालनहारों द्वारा वर्ष 2004–05 से 2007–08 तक की पालनहारों की संख्या एवं पालन–पोषण किया जा रहे अनाथ बच्चों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

वर्षवार पालनहारों एवं अनाथ बच्चों की संख्या

(संख्या)

क्र. सं.	चयनित जिला	2004–05		2005–06		2006–07		2007–08		योग	
		पालनहारों की संख्या	अनाथ बच्चों कीसंख्या	पालनहारों की संख्या	अनाथ बच्चों कीसंख्या	पालनहारों की संख्या	अनाथ बच्चों कीसंख्या	पालनहारों की संख्या	अनाथ बच्चों कीसंख्या	पालनहारों की संख्या	अनाथ बच्चों कीसंख्या
1.	बांरा	1	1	24	40	61	84	1176	1218	1262	1343
2.	भीलवाड़ा	2	2	37	51	90	115	188	233	317	401
3.	डूंगरपुर	2	2	52	92	89	158	174	283	317	535
4.	जालौर	4	18	14	18	82	43	209	209	309	288
	योग	**9**	**23**	**127**	**201**	**322**	**400**	**1747**	**1943**	**2205**	**2567**

3.1.2 उपरोक्त तालिका का विश्लेषण करने पर प्रतीत होता है कि वर्ष 2004–05 में 9 पालनहारों द्वारा 23, वर्ष 2005–06 में 127 पालनहारों द्वारा 201, वर्ष 2006–07 में 322 पालनहारों द्वारा 400, वर्ष 2007–08 में 1747 पालनहारों द्वारा 1943 अर्थात् वर्ष 2004–05 से 2007–08 तक कुल 2205 पालनहारों द्वारा 2567 बालकों का पालन–पोषण किया जा रहा है। इस प्रकार 362 पालनहारों द्वारा एक से अधिक अर्थात् 2 बच्चों का पालन–पोषण किया जा रहा है। मूल्यांकन हेतु बहुस्तरीय न्यादर्श पद्धति के आधार पर न्यादर्श का चयन निम्नानुसार किया गया।

3.2.0 पालनहार एवं लाभार्थियों का जातिवार विवरण :

3.2.1 चयनित जिलों में कुल 127 लाभान्वित चयन किये गये जिनमें विधवा माता के अनाथ बच्चों की पालनहार, निराश्रित पेंशन प्राप्त विधवा माता के लाभार्थी बच्चों से एवं अनाथ बच्चों से उनकी जाति वर्ग के बारे में जानकारी प्राप्त की गई जिसका पृथक–पृथक विवरण आगे तालिकाओं में दिया गया है :–

विधवा माता पालनहार का जाति वर्ग

(संख्या)

क्र. सं.	चयनित जिले का नाम	विधवा माता पालनहार	पालनहार की जाति					
			अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य	अल्पसंख्यक	योग
1.	बांरा	35	23	1	9	2	–	35
2.	भीलवाड़ा	32	11	4	7	8	2	32
3.	डूंगरपुर	14	1	6	3	4	–	14
4.	जालौर	30	9	3	15	3	–	30
	योग	**111**	**44**	**14**	**34**	**17**	**2**	**111**

3.2.2 उपरोक्त तालिका का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि चयनित 111 विधवा माता पालनहार में से 39.64 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 12.62 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति, 30.63 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग, 15.31 प्रतिशत सामान्य जाति एवं 1.8 प्रतिशत अल्पसंख्यक थे। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सर्वाधिक पालनहार अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के पाये गये, जिनके द्वारा बेसहारा बच्चों का पालन–पोषण किया जा रहा है।

3.3.0 अनाथ बच्चों की पालनहार का जातिवार विवरण :

3.3.1 अनाथ बच्चों की पालनहारों का जातिवार विवरण निम्न तालिका में दिया जा रहा है :–

क्र. सं.	चयनित जिले का नाम	अनाथ बच्चों की पालनहार संख्या (रिश्तेदार/ परिवार के चाची/ताई)	जातिवार विवरण				
			अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य	योग
1.	बांरा	6	4	1	—	1	6
2.	भीलवाड़ा	1	—	—	1	—	1
3.	डूंगरपुर	6	—	5	1	—	6
4.	जालौर	3	1	—	1	1	3
	योग	**16**	**5**	**6**	**3**	**2**	**16**

3.3.2 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अनाथ बच्चों का पालन–पोषण करने वाली 16 रिश्तेदार पालनहारों में से 31.25 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 37.50 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति, 18.75 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग एवं 12.50 प्रतिशत सामान्य वर्ग की थी। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि अनाथ बच्चों का पालन–पोषण करने वाली अधिकांश महिलाऐं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की थी अर्थात् समाज के कमजोर वर्ग द्वारा पालनहारों का पालन किया जाना पाया गया।

3.4.0 पालनहारों का व्यवसाय सम्बन्धी विवरण :

3.4.1 चयनित 111 विधवा माता पालनहारों से उनके परिवार द्वारा किये जा रहे व्यवसाय सम्बन्धी जानकारी प्राप्त की गई। परिवार द्वारा किये जा रहे व्यवसायिक विवरण को निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

विधवा माता पालनहारों का व्यवसाय सम्बन्धी विवरण

(संख्या)

क्र. सं.	चयनित जिला	विधवा माता पालनहार संख्या	परिवार का व्यवसाय					
			कृषि	पशुपालन	मजदूरी	नौकरी	व्यापार	निराश्रित पेंशन प्राप्त महिलाएं
1.	बांरा	35	2	1	29	2	1	—
2.	भीलवाड़ा	32	4	—	29	—	—	—
3.	डूंगरपुर	14	7	5	6	—	—	5
4.	जालौर	30	1	2	19	—	—	27
	योग	**111**	**14**	**8**	**83**	**2**	**1**	**32**

3.4.2 उपरोक्त तालिका में दर्शाये गये विवरण के अनुसार कुल चयनित 111 विधवा माता पालनहारों में सर्वाधिक 74.77 प्रतिशत मजदूरी करने वाली महिलाऐं थी, कृषि 12.61 प्रतिशत, पशुपालन 7.21 प्रतिशत, नौकरी करने वाली 1.80 प्रतिशत एवं 0.90 प्रतिशत दुकान का व्यवसाय करने वाली थी। चयनित पालनहार महिलाओं में से 32 (28.83 प्रतिशत) महिलाऐं निराश्रित पेंशन प्राप्त करने वाली रही। तालिका के विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि अधिकांश महिलाऐं मजदूरी कार्य करने वाली पाई गई जिससे यह भी स्पष्ट होता है कि उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर रही है जिनकों योजना के तहत लाभान्वित किया जाना सामाजिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण कदम विभाग द्वारा उठाया जा रहा है।

3.5.0 अनाथ बच्चों की पालनहार का व्यवसाय विवरण :

3.5.1 अनाथ बच्चों का पालन–पोषण करने वाली 16 पालनहारों का व्यवसायिक विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

(संख्या)

क्र. सं.	चयनित जिले का नाम	अनाथ बच्चों की पालनहार संख्या (रिश्तेदार / परिवार के चाची / ताई)	परिवार का व्यवसाय					
			कृषि	पशुपालन	मजदूरी	नौकरी	व्यापार	निराश्रित पेंशन प्राप्त विधवा
1.	बांरा	6	2	–	5	–	–	–
2.	भीलवाड़ा	1	1	–	–	–	–	–
3.	डूंगरपुर	6	4	4	2	–	–	–
4.	जालौर	3	–	–	2	–	1	–
	योग	**16**	**7**	**4**	**9**	**–**	**1**	**–**

3.5.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि चयनित 16 अनाथ बच्चों का पालन–पोषण करने वाली महिलाओं में से 56.25 प्रतिशत महिलाऐं मजदूरी, 43.75 प्रतिशत महिलाऐं कृषि का कार्य, 25.00 पशुपालन एवं 6.25 प्रतिशत दुकान का कार्य कर रही थी, 5 (31.25 प्रतिशत) महिलाऐं मजदूरी के साथ कृषि एवं पशुपालन का कार्य भी कर रही थी उनके द्वारा एक से अधिक कार्य करना भी पाया गया। पालनहारों द्वारा बच्चों के लालन–पालन के साथ मजदूरी एवं कृषि कार्य भी करना पाया गया।

3.6.0 विधवा माता पालनहार की आय सम्बन्धी विवरण :

3.6.1 विधवा माता पालनहारों द्वारा किये जा रहे व्यवसाय यथा–कृषि, पशुपालन, मजदूरी, नौकरी, व्यापार एवं निराश्रित पेंशन प्राप्त विधवाओं को वर्ष में होने वाली आय का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

(संख्या)

क्र. सं.	जिले का नाम	पालनहार उत्तरदाता	व्यवसाय से प्राप्त वार्षिक आय (रुपयों में)				
			12000 तक	12001 से 18000 तक	18001 से 24000 तक	24001 से 36000 तक	36001 से 48000 तक
1.	बांरा	35	30	4	1	—	—
2.	भीलवाड़ा	32	30	2	—	—	—
3.	डूंगरपुर	14	12	1	—	—	1
4.	जालौर	30	12	8	7	3	—
	योग	**111**	**84**	**15**	**8**	**3**	**1**

3.6.2 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि योजना के प्रावधानों के अनुसार पालनहारों के परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। सभी पालनहारों की आय निर्धारित आय सीमा से कम पायी गई। इस प्रकार सभी पालनहारों का चयन सही किया जाना पाया गया।

3.6.3 तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि चयनित विधवा माता पालनहारों में से 84 (75.68 प्रतिशत) की वार्षिक आय 12000 रुपये तक, 15 (13.51 प्रतिशत) की 18000 रुपये तक, 8 (7.20 प्रतिशत) की 24000 रुपये तक, 3 (2.70 प्रतिशत) की 36000 रुपये तक एवं 1 (0.90 प्रतिशत) की आय 48000 रुपये वार्षिक आय थी अर्थात् सर्वाधिक पालनहारों की मासिक आय 1000–1500 मासिक पायी गई, जिससे स्पष्ट है कि पालनहारों की आर्थिक स्थिति कमजोर रही है और उनको आर्थिक सम्बल की अधिक आवश्यकता है। योजना के प्रावधानानुसार सभी पालनहारों की आय 1.20 लाख रुपये से कम होने से सभी का चयन प्रावधानानुसार किया जाना पाया गया।

3.7.0 अनाथ बच्चों को पालने वाली पालनहार का आय सम्बन्धी विवरण :

3.7.1 चयनित जिलों की अनाथ बच्चों को पालने वाली पालनहारों द्वारा किये जा रहे कार्यों से उनके प्राप्त होने वाली आय का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

(संख्या)

क्र. सं.	चयनित जिले का नाम	पालनहारों की संख्या	व्यवसाय से प्राप्त वार्षिक आय (रुपयों में)					
			12000 तक	12001 से 18000 तक	18001 से 24000 तक	24001 से 36000 तक	36000 से 48000 तक	48000 से 65000 तक
1.	बांरा	6	2	—	1	1	—	2
2.	भीलवाड़ा	1	1	—	—	—	—	—
3.	डूंगरपुर	6	4	—	1	1	—	—
4.	जालौर	3	—	1	—	2	—	—
	योग	**16**	**7**	**1**	**2**	**4**	**—**	**2**

3.7.2 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से जानकारी मिलती है कि चयनित अनाथ बच्चों को पालने वाली पालनहारों में से 7 (43.75 प्रतिशत) की वार्षिक आय 12000 रुपये तक, 1 (6.25 प्रतिशत) की 18000 रुपये तक, 2 (12.50 प्रतिशत) की 24000 रुपये तक, 4 (25.00 प्रतिशत) की 36000 रुपये तक, 2 (12.50 प्रतिशत) की 48000 से 65000 रुपये तक पायी गई अर्थात् अधिकांश पालनहारों की आय 1000–2000 रुपये मासिक तक ही पायी गई। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि अनाथ बच्चों को पालने वाली पालनहारों की आय कम रही है जो उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर रहने को इंगित करती है। चयनित पालनहारों की वार्षिक आय भी प्रावधानानुसार 1.20 लाख रुपये से कम पायी गई जिससे योजनान्तर्गत उनका चयन सही पाया गया।

3.8.0 विधवामाता पालनहार के परिवार के सदस्यों का विवरण :

3.8.1 विधवामाता पालनहार के स्वयं के परिवार में कितने सदस्य है उसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र. सं.	चयनित जिले का नाम	पालनहारों की संख्या	विधवामाता पालनहार के परिवार में सदस्यों का विवरण			
			पुरूष	स्त्री	बच्चे	योग
1.	बांरा	35	–	35	122	157
2.	भीलवाड़ा	32	–	32	99	131
3.	डूंगरपुर	14	–	17	26	43
4.	जालौर	30	1	33	72	106
	योग	**111**	**1**	**117**	**319**	**437**

3.8.2 उपरोक्त तालिका के अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि चयनित 111 पालनहारों के परिवार में स्त्री एवं बच्चे कुल 437 पाये गये जो औसतन 4 सदस्यों का परिवार में पाया जाना दर्शाता है। चयनित पालनहारों के पास औसतन 3 बच्चे पाये गये। इससे यह भी स्पष्ट है कि अधिकांश पालनहारों की वार्षिक आय 1500 रुपये मासिक से कम पायी गई। इससे स्पष्ट है कि उनको योजनानुसार सहायता प्रदान की जा रही है।

3.9.0 अनाथ बच्चों को पालने वाली पालनहारों के परिवार में सदस्यों का विवरण :

3.9.1 अनाथ बच्चों को पालने वाली पालनहारों के परिवार के सदस्यों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र. सं.	चयनित जिले का नाम	पालनहारों की संख्या	अनाथ बच्चों को पालने वाली पालनहार के परिवार के सदस्यों का विवरण			
			पुरूष	स्त्री	बच्चे	योग
1.	बांरा	6	5	6	21	32
2.	भीलवाड़ा	1	1	–	–	1
3.	डूंगरपुर	6	6	7	23	36
4.	जालौर	3	4	4	4	12
	योग	**16**	**16**	**17**	**48**	**81**

3.9.2 चयनित जिलों में अनाथ बच्चों को पालने वाली पालनहार के परिवार में कुल सदस्य 81 पाये गये अर्थात् औसतन प्रति परिवार 5 सदस्य पाये गये। परिवार में कुल सदस्यों में से 20 प्रतिशत पुरूष, 21 प्रतिशत महिलाऐं एवं 59 प्रतिशत बच्चे पाये गये अर्थात् प्रति परिवार में 3 बच्चे होना पाया गया। चयनित पालनहारों की आय कम होने से एवं परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण विभाग द्वारा पालनहार योजना का संचालन किया जा रहा है जिससे उनके आर्थिक सहयोग प्रदान हो रहा है।

3.10.0 चयनित पालनहारों को योजना की जानकारी सम्बन्धी विवरण :

3.10.1 चयनित विधवा माता एवं अनाथ बच्चों का पालन–पोषण करने वाली पालनहारों से योजना के सम्बन्ध में जानकारी कहाँ से प्राप्त की गई, पालनहारों को किसने प्रेरित किया एवं पालनहारों का दायित्व सम्बन्धी विवरण निम्न तालिका में दिया जा रहा है :–

क्र. सं.	चयनित जिले का नाम	चयनित विधवा माता पालनहार संख्या	पालनहार योजना की जानकारी का माध्यम			योजना के सम्बन्ध में प्रेरित			दायित्व हेतु आवेदन		
			नगर पालिका	वार्ड पार्षद/ वार्ड सचिव/ सरपंच/ वार्ड पंच	रिश्तेदार	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	वार्ड पार्षद	रिश्तेदार	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	स्कूल वार्डन	नगर परिषद/ ग्राम पंचायत
1.	बांरा	35	24	5	6	6	23	6	34	1	–
2.	भीलवाड़ा	32	10	20	2	8	20	4	26	–	6
3.	डूंगरपुर	14	12	2	–	12	2	–	–	12	2
4.	जालौर	30	26	2	2	26	2	2	19	5	6
	योग	**111**	**72**	**29**	**10**	**52**	**47**	**12**	**79**	**18**	**14**

3.10.2 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विधवामाता को पालनहार बनाये जाने की जानकारी 72 (65.00 प्रतिशत) को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं नगर पालिकाओं द्वारा हुई, 29 (26 प्रतिशत) को वार्ड पार्षद/वार्ड सचिव, सरपंच एवं वार्ड पंच द्वारा हुई, शेष 10 (9 प्रतिशत) को रिश्तेदार एवं पडौसियों द्वारा जानकारी हुई। योजना में लाभ लेने हेतु प्रेरित करने में 52 (47 प्रतिशत) को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, 47 (42 प्रतिशत) को वार्ड पार्षद एवं 12 (11 प्रतिशत) रिश्तेदारों का योगदान रहा है। पालनहार बनने का दायित्व लेने हेतु आवेदन पत्र 79 (71.00 प्रतिशत) ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, 18 (16 प्रतिशत) ने स्कूल के वार्डन एवं 14 (13 प्रतिशत) ने नगर परिषद एवं ग्राम पंचायत के माध्यम से आवेदन पत्र प्रस्तुत किये। योजनान्तर्गत पालनहार व्यक्ति को अपना आवेदन पत्र जिला अधिकारी को देना होता है जिसे जाँच के बाद जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है। इस प्रकार योजना की जानकारी देने, प्रेरित करने, दायित्व हेतु आवेदन भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में ज्यादा मात्रा में किया गया।

3.10.3 अनाथ बच्चों को पालने वाली पालनहारों से योजना के सम्बन्ध में प्राप्त जानकारी को निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र. सं.	चयनित जिले का नाम	अनाथ बच्चों का पालनहार संख्या	पालनहारों की जानकारी का माध्यम			योजना के लिए प्रेरित करने के सम्बन्ध में			दायित्व हेतु आवेदन	
			सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/ नगर पालिका	वार्ड पार्षद/ सचिव/ सरपंच	रिश्तेदार	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/ नगर पालिका	वार्ड पार्षद/ सचिव/ सरपंच	रिश्तेदार	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	स्कूल वार्डन
1.	बांरा	6	2	2	2	1	3	2	4	2
2.	भीलवाड़ा	1	1	–	–	1	–	–	1	–
3.	डूंगरपुर	6	6	–	–	4	2	–	3	3
4.	जालौर	3	2	–	1	1	1	1	3	–
	योग	**16**	**11**	**2**	**3**	**7**	**6**	**3**	**11**	**5**

3.10.4 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि अनाथ बच्चों को पालने वाली पालनहारों में से 6 शहरी क्षेत्र व 10 ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थी है। चयनित पालनहारों में से 11 (69 प्रतिशत) को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, 2 (12 प्रतिशत) को वार्ड परिषद्, सरपंच एवं वार्ड सचिव द्वारा एवं 3 (19 प्रतिशत) को रिश्तेदारों के द्वारा योजना की जानकारी प्राप्त हुई। योजना हेतु प्रेरित करने हेतु 7 (44 प्रतिशत) को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, 6 (37 प्रतिशत) को वार्ड पार्षद,सरपंच एवं सचिव तथा 3 (19 प्रतिशत) ने रिश्तेदारों द्वारा योजना में लाभ लेने हेतु प्रेरित किया जाना बतलाया। योजना में पालनहार बनने का दायित्व लेने हेतु 11 (69 प्रतिशत) ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं 5 (31 प्रतिशत) ने स्कूल के वार्डन को अनाथ बच्चों का पालनहार बनने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया।

3.11.0 पालनहारों से प्राप्त आवेदन पत्रों का विवरण :

3.11.1 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा निर्धारित आवेदन पत्रों में आवेदन किया जाकर आवेदन करने बाबत जानकारी प्राप्त की गई। पालनहारों से वर्ष 2004–05 से 2007–08 तक प्राप्त आवेदन पत्रों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

(संख्या)

वर्ष	अनुदान हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों एवं बच्चों की संख्या				अनुदान हेतु स्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या		अस्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या	
	अनाथ बच्चों के अनुदान हेतु प्राप्त आवेदन पत्र	अनाथ बच्चों की संख्या	विधवा माता के अनुदान हेतु प्राप्त आवेदन पत्र	विधवा माता के बच्चों की संख्या	अनाथ बच्चों के स्वीकृत आवेदन पत्र	विधवा माता के बच्चों के स्वीकृत आवेदन पत्र	अनाथ बच्चों के आवेदन पत्र	विधवा माता के बच्चों के आवेदन पत्र
2004–05	3	3	–	–	3	–	–	–
2005–06	111	197	–	–	95	–	16	–
2006–07	216	323	–	–	198	–	18	–
2007–08	524	750	3178	4641	484	4379	40	262
योग	**854**	**1273**	**3178**	**4641**	**780**	**4379**	**74**	**262**

3.11.2 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनाथ बच्चों हेतु वर्ष 2004–05 से 2007–08 तक अनाथ बच्चों के लिए प्राप्त आवेदन पत्र 854 में से 780 (91.33 प्रतिशत) आवेदन पत्र स्वीकृत किये गये। विधवा माता के बच्चों के कुल आवेदन पत्र 4641 में से 4379 (94.35 प्रतिशत) आवेदन पत्रों को स्वीकृत किया गया। इस प्रकार 74 (8.67 प्रतिशत) फार्मों को अस्वीकृत किया गया। जो आवेदन पत्र अस्वीकृत किये गये उनका मुख्य कारण आवेदन पत्रों के भरने में कमी पाया जाना तथा नियमों के बाहर होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार किया जाना संभव नहीं होना अवगत कराया गया।

3.12.0 योजना हेतु आवेदन पत्र में संलग्न प्रमाण पत्र सम्बन्धी जानकारी :

3.12.1 चयनित समस्त विधवामाता पालनहार एवं अनाथ बच्चों की पालनहारों द्वारा आवेदन निर्धारित प्रारूप में आवेदन किया जाना बतलाया। आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रमाण पत्र, पति का मृत्यु प्रमाण–पत्र, पी.पी.ओ. की फोटो प्रति, बच्चे की आयु के सम्बन्ध में विद्यालय का प्रमाण पत्र, फोटो, सरपंच, वार्ड पार्षद एवं नगर पालिका का प्रमाण–पत्र, आय सम्बन्धी प्रमाण–पत्र, राशन कार्ड की प्रति, बैंक का खाता नम्बर एवं अनाथ बच्चों की पालनहार हेतु अनाथ बच्चों के माता–पिता का मृत्यु प्रमाण–पत्र व पालनहार अण्डर टेकिंग स्वंय का विवरण प्रमाण–पत्र आदि संलग्न किये गये। जिन प्रार्थना पत्रों को अस्वीकृत किया गया वे आवेदन पत्र नियमों के बाहर होने के कारण अस्वीकृत किये गये।

3.13.0 आवेदन पत्र प्रस्तुत करने एवं स्वीकृत करने में लगने वाला समय अन्तराल विवरण :

3.13.1 चयनित विधवामाता एवं अनाथ बच्चों को पालने वाली पालनहारों से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने एवं उसकी स्वीकृति में लगने वाले समय अन्तराल का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

(माह में)

क्र. सं.	चयनित जिले का नाम	चयनित विधवा माता पालनहार संख्या	आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से स्वीकृति दिनांक में लगने वाला संख्या									
			1 माह	2 माह	3 माह	4 माह	5 माह	D.K.	अनाथ बच्चों पाहनहार की संख्या	1 माह	2 माह	3 माह
1.	बांरा	35	21	12	2	–	–	–	6	5	1	–
2.	भीलवाड़ा	32	21	–	–	–	–	11	1	–	–	1
3.	डूंगरपुर	14	7	2	2	2	–	1	6	3	3	–
4.	जालौर	30	17	1	–	4	8	–	3	2	–	1
	योग	**111**	**66**	**15**	**4**	**6**	**8**	**12**	**16**	**10**	**4**	**2**

3.13.2 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि चयनित पालनहारों द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने एवं उसके स्वीकृत होने में 66 (59.46 प्रतिशत) को 1 माह, 15 (13.51 प्रतिशत) को 2 माह, 4 (3.60 प्रतिशत) को 3 माह, 6 (5.41 प्रतिशत) को 4 माह, 8 (7.21 प्रतिशत) को 5 माह का समय लगा तथा 12 (10.81 प्रतिशत) द्वारा जानकारी नहीं होना बतलाया। इस प्रकार अधिकांश द्वारा 2 माह में पालनहार हेतु आवेदन पत्र स्वीकृत किया जाना बतलाया गया।

3.13.3 तालिका के अवलोकन सं स्पष्ट है कि अनाथ बच्चों को पालने वाली 15 पालनहारों में से 10 (62.5 प्रतिशत) को एक माह, 4 (25.0 प्रतिशत) को दो माह एवं 2(12.5 प्रतिशत) को आवेदन पत्र स्वीकृत करने में तीन माह का समय लगा।

3.13.4 योजनान्तर्गत पालनहारों को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने एवं उनको स्वीकृत करने में समय लगता है। इस सम्बन्ध में आवेदनकर्त्ता द्वारा महसूस की जा रही कठिनाईयों को दूर करने हेतु विभाग को निम्न बिन्दुओं पर ध्यान देना चाहिए :–

(1) विभाग को आवेदनकर्त्ता द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् स्वीकृति में लगने वाले समय की सीमा का निर्धारण करना चाहिए।
(2) जिन जिलों में आवेदन पत्र नियमानुसार स्वीकृत नहीं किये जा रहे है उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
(3) आवेदन पत्र प्रतिवर्ष प्राप्त कर स्वीकृत किये जाने चाहिए जिससे स्वीकृति में विसंगति न रह सके एवं रिकार्ड भी संधारित किया जाना चाहिए।
(4) यदि एक बार आवेदन पत्र स्वीकृत किये जाते है उनको नियमित भुगतान हो रहा है या नहीं उसकी जाँच की जाकर रिकार्ड संधारित किया जाना चाहिए।
(5) जिस जिले में नियमित भुगतान नहीं किया जा रहा है उस जिले में नियमित भुगतान कराने पर ध्यान देना चाहिए।

(6) योजनान्तर्गत आवेदन पत्रों की स्वीकृति की प्रक्रिया को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

3.14.0 **अनाथ बच्चों के पालन–पोषण एवं उनकी देखरेख करने सम्बन्धी विवरण :**

3.14.1 अनाथ बच्चों को पालन–पोषण करने वाली पालनहारों द्वारा सभी बच्चों को योजना से पूर्व उनके नजदीकी रिश्तेदार होने के कारण पालन–पोषण किया जा रहा था। उनके नजदीकी रिश्तेदार होने के कारण मजदूरी करके/अपने स्वयं के खर्चे द्वारा पालन–पोषण किया जा रहा था। सभी बच्चों के माता–पिता की दुर्घटना में मृत्यु/बीमारी में मृत्यु होना पाया गया। पालनहारों द्वारा योजना से पूर्व पालन–पोषण किया जा रहा, अनाथ होने पर बच्चे किसके पास थे, राशि प्राप्ति के पश्चात् पालनहारों द्वारा पाला जाना इत्यादि विवरण को निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र. सं.	चयनित जिला	चयनित अनाथ पालनहार	अनाथ बच्चे किसके पास थे		अनाथ होने के बाद किसी और से सौंपने का कारण		अनुदान राशि नहीं मिलती तो पालते	
			स्वयं के पास	रिश्तेदार के पास	भाई के बच्चे	दादी का वृद्ध होना	हाँ	नहीं
1.	बांरा	6	6	–	–	–	6	–
2.	भीलवाड़ा	1	1	–	–	–	1	–
3.	डूंगरपुर	6	3	3	2	1	3	3
4.	जालौर	3	3	–	–	–	3	–
	योग	**16**	**13**	**3**	**2**	**1**	**13**	**3**

3.14.2 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि चयनित अनाथ बच्चों को पालने वाली पालनहारों के पास 13 (81 प्रतिशत) बच्चे पूर्व से ही उनके द्वारा पाले जा रहे थे, 3 (19 प्रतिशत) बच्चे उनके रिश्तेदारों के पास थे जो उनको पालनहार योजना से लाभान्वित किये जाने के पश्चात् सौंपे गये, 3 (19 प्रतिशत) बालक के लिए अनुदान राशि प्राप्त नहीं होती तो उनके द्वारा पालन–पोषण नहीं किया जाता। जिन 3 बच्चों को रिश्तेदार के यहाँ पाला जा रहा था पालनहार को सौंपे जाने का कारण वे बच्चे भाई के थे व दादी वृद्ध थी तथा सरकार द्वारा सहायता मिलने के कारण वे पालनहार बनने को तैयार हुई। शत–प्रतिशत (16) बच्चों की शारीरिक एवं मानसिक स्थिति स्वस्थ पायी गई। वे किसी असाध्य रोग से पीड़ित नहीं थे इस कारण उनके लिए किसी प्रकार की असाध्य रोग से पीड़ित होने सम्बन्धी चिकित्सा/दवाईयों की आवश्यकता नहीं रही। इस हेतु किसी प्रकार की व्यवस्था एवं वित्तीय सहायता की आवश्यकता नहीं रही।

3.15.0 अनाथ बच्चों को पालने वाली पालनहारों के बच्चों के लालन–पालन सम्बन्धी विवरण :

3.15.1 अनाथ बच्चों को पालने वाली पालनहारों से बच्चों के लालन–पालन हेतु विवरण प्राप्त किया गया। सभी पालनहारों द्वारा बालक–बालिकाओं को अपने निवास स्थान पर स्वयं के साथ रखा जा रहा है। सभी बालक–बालिकाऐं परिवार में घुल–मिल कर रह रहे हैं। सभी बालकों को भोजन, वस्त्र एवं अन्य आवश्यक वस्तुऐं पालनहारों द्वारा समय पर उपलब्ध करवायी जा रही है।

3.16.0 अनाथ बच्चों की सम्पत्ति/परिसम्पत्ति का विवरण :

3.16.1 अनाथ बच्चों की पैतृक सम्पत्ति की जानकारी सभी पालनहारों को है, क्योंकि वे उनके रिश्तेदार है तथा उनके पास घरेलू सामग्री, पैतृक मकान में हिस्सा, कच्चे मकान तथा कृषि भूमि पायी गई तथा सम्पत्ति की सुरक्षा भी उनके रिश्तेदार एवं पालनहारों द्वारा की जा रही है।

3.17.0 विधवा माता पालनहारों को प्राप्त होने वाली अनुदान राशि सम्बन्धी विवरण :

3.17.1 चयनित सभी विधवा माता पालनहारों को राज्य सरकार द्वारा 5 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए 500 रुपये व 5 वर्ष से 15 वर्ष तक के आयु के स्कूल में प्रवेशित बच्चों के लिए 675/– रुपये राशि प्रतिमाह के अनुसार भुगतान किया जाना बतलाया। जूते, जुराब, स्वेटर एवं कपड़े के लिए चयनित पालनहारों को एकमुश्त राशि नहीं दी गई बतलायी। अतः विधवा माता पालनहारों के पास पल रहे बच्चों के लिए 2000 रुपये की एकमुश्त राशि नहीं दिये जाने का प्रावधान होने के कारण उनको एकमुश्त राशि प्राप्त नहीं होना पाया गया।

3.17.2 नियमों के अन्तर्गत विधवा माता पालनहारों को एकमुश्त राशि दिये जाने का प्रावधान नहीं है, परन्तु पालनहारों द्वारा एकमुश्त राशि सभी को दिये जाने की माँग की गई।

3.18.0 अनाथ बच्चों को पालने वाली रिश्तेदार पालनहारों को प्राप्त अनुदान राशि का विवरण :

3.18.1 शत–प्रतिशत पालनहारों को अनुदान राशि प्राप्त हो रही है तथा समस्त स्कूल में प्रवेशित बच्चों के लिए 675 रुपये की मासिक राशि तथा जूते, जुराब, स्वेटर, कपड़े हेतु एकमुश्त 2000 रुपये की राशि मिलना बतलाया गया। अनाथ बच्चों की पालनहारों में से 2 (12.5 प्रतिशत) ने अनुदान राशि समय पर मिलना तथा 14 (87.50 प्रतिशत) ने अनुदान राशि समय पर नहीं मिलना बतलाया। अधिकांश को राशि 6 माह तक प्राप्त होना बतलाया तथा विभाग द्वारा 2–3 माह की अवधि का भुगतान एक साथ किया जाना बतलाया। अनुदान राशि समय पर प्राप्त नहीं होने का मुख्य कारण विभाग में बजट देरी से आना, भुगतान व्यवस्था ठीक नहीं होना,विभाग के बार–बार चक्कर लगाना बतलाया। राशि का अनुदान चैक द्वारा होने तथा ड्राफ्ट देरी से आना बतलाया। अनुदान की सूचना भी पालनहार को नहीं दी जाती है जिससे पालनहारों को विभाग के बार–बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। अतः इस सम्बन्ध में विभाग को पालनहारों को अनुदान राशि के भुगतान की समय पर करवाये जाने की व्यवस्था पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

3.19.0 विधवा माता पालनहार का पारिवारिक विवरण :

3.19.1 चयनित चारों जिलों की विधवा माता पालनहारों को उनको मिल रही पेंशन, परिवार का व्यवसाय, व्यवसाय से आय आदि का विवरण प्राप्त किया गया जिसको निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र. सं.	चयनित जिला	चयनित पालनहार	क्या विधवा निराश्रित पेंशन प्राप्त है ?		क्या बी. पी.एल. परिवार चयनित है ?		पति का व्यवसाय				व्यवसाय से आय (वार्षिक)			
			हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	कृषि/ पशुपालन	मजदूरी	व्यवसाय	नौकरी	12000 तक	12001 से 24000 तक	24001 से 36000 तक	36000 से ऊपर
1.	बांरा	35	34	1	19	16	2	30	2	2	2	32	1	–
2.	भीलवाड़ा	32	32	–	14	18	1	30	2	–	27	5	–	–
3.	डूंगरपुर	14	14	–	4	10	9	5	–	1	11	2	–	1
4.	जालौर	30	30	–	22	8	–	19	6	5	12	14	3	1
	योग	**111**	**110**	**1**	**59**	**52**	**12**	**84**	**10**	**8**	**52**	**53**	**4**	**2**

3.19.2 चयनित विधवा माता पालनहारों में से 110 (99.10 प्रतिशत) को पेंशन प्राप्त हो रही थी व 1 (0.90 प्रतिशत) को पेंशन प्राप्त नहीं हो रही थी। जिन पालनहारों को पेंशन प्राप्त हो रही थी उन सभी को 400/– रुपये प्रतिमाह पेंशन प्राप्त हो रही थी। चयनित पालनहारों में से 53.15 प्रतिशत पालनहार बी.पी.एल. एवं 46.85 प्रतिशत बी.पी. एल. नहीं थे। चयनित पालनहारों का व्यवसाय 84 (75.68 प्रतिशत) मजदूरी, 12 (10.81 प्रतिशत) कृषि एवं पशुपालन, 10 (9.01 प्रतिशत) आटा–चक्की दुकान, सिलाई कार्य इत्यादि का व्यवसाय था। कुछ लोग एक से अधिक व्यवसाय भी कर रहे थे। उस व्यवसाय से उनके परिवार में वार्षिक आय 52 (46.85 प्रतिशत) की 12000 रुपये, 53 (47.75 प्रतिशत) की 12001 से 24000 रुपये तक, 4 (3.6 प्रतिशत) की 24001 से 36000 एवं 2 (1.80 प्रतिशत) की 36001 से अधिक थी। इस प्रकार उनके पति की मासिक आय अधिकांश की 1000 से 2000 रुपये तक पायी गई।

3.19.3 कुल चयनित पालनहारों से सर्वे दिनांक मार्च 2009 तक प्राप्त जानकारी अनुसार 26 (23.4 प्रतिशत) को राशि फरवरी 2009 तक की प्राप्त हुई व 85 (76.6 प्रतिशत) को राशि प्राप्त नहीं हुई जिसका मुख्य कारण विभाग द्वारा बिल समय पर नहीं बनाया जाना एवं डी.डी. देरी से बनाने के कारण भुगतान 2–3 माह में किया जाना बतलाया गया जिससे राशि देरी से प्राप्त होती है। सभी पालनहारों द्वारा राशि का भुगतान चैक/ड्राफ्ट द्वारा किया जाना बतलाया गया। चैक/ड्राफ्ट द्वारा राशि छात्रावास अधीक्षक/बैंक के माध्यम से खाते में जमा होती है जिसकी कोई सुव्यस्थित निर्धारित अवधि में दिये जाने की व्यवस्था नहीं होने से पालनहारों को बार–बार कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। कुछ पालनहारों को समाज कल्याण विभाग/पंचायत समिति स्तर पर बुलाकर चैक दिये जाते हैं। इस सम्बन्ध में सुझाव है कि सभी पालनहारों का खाता बैंक/पोस्ट आफिस में खुलवाया जाकर उनका भुगतान उनके खातों में प्रतिमाह नियमित रूप से करवाने की व्यवस्था होनी चाहिए। राशि का भुगतान चैक/ड्राफ्ट द्वारा कई महिनों की राशि एक साथ विलम्ब से दी जाती है जिसकी पूर्व सूचना भी नहीं दी जाती है। भुगतान भी देरी से होता है इस कारण पालनहारों को बार–बार बैंक/

आफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अनुदान की सूचना समय पर नहीं दी जाती है जिससे राशि समय पर कभी प्राप्त नहीं होती है जिससे उनको राशि प्राप्ति में एवं खर्चा चलाने में कठिनाई आ रही है। अतः विभाग द्वारा अनुदान राशि जारी करवाने व भुगतान की प्रतिमाह की नियमित रूप से सुनिश्चित व्यवस्था करवायी जानी चाहिए ताकि पालनहारों को समय पर इसका लाभ प्राप्त हो सके।

3.19.4 पालनहारों को प्राप्त हो रही राशि से लाभार्थी बच्चे की पढ़ाई–लिखाई हेतु आवश्यक खर्च निकल जाता है, इसके बारे में पालनहारों से पूछने पर 103 (92.80 प्रतिशत) ने प्राप्त राशि में से खर्चा निकलना बतलाया, शेष 8 (7.20 प्रतिशत) द्वारा खर्चा नहीं चलना बतलाया गया। जिन पालनहारों द्वारा अधिक राशि व्यय होना बतलाया उनके द्वारा मासिक 800–1000 रुपये खर्च होना बतलाया तथा पुस्तकें, ड्रैस इत्यादि पर वार्षिक 3000/– रुपये तक खर्च होना बतलाया। उनके द्वारा मासिक राशि 800–1000 रुपये व एकमुश्त वार्षिक राशि 3000 रुपये दिये जाने की मांग की गई। अतः इस सम्बन्ध में जो बच्चें 9वीं कक्षा से ऊपर की कक्षा में पढ़ रहे है उनके लिए वर्तमान मंहगाई को देखते हुए राशि बढ़ाये जाने पर विचार किया जाना चाहिए।

3.20.0 अनाथ बच्चों की पालनहार को प्राप्त अनुदान राशि सम्बन्धी विवरण :

3.20.1 अनाथ बच्चों को पालने वाली 16 पालनहारों में से शत–प्रतिशत ने बतलाया कि उनको बच्चों को पालन–पोषण करने हेतु राज्य सरकार के माध्यम से अनुदान राशि प्राप्त हो रही है। उन सभी ने स्कूल में प्रवेशित बच्चों के लिए 675/– मासिक एवं जूते, जुराब, स्वेटर, कपड़ो के लिए एकमुश्त वार्षिक राशि 2000/– का भुगतान किया जाना बतलाया। चयनित अनाथ बच्चों की पालनहारों में से 2 (12.50 प्रतिशत) ने राशि समय पर प्राप्त होना एवं 14 (87.50 प्रतिशत) ने राशि समय पर प्राप्त नहीं होना बतलाया। जिन अनाथ बच्चों की पालनहारों को राशि समय पर प्राप्त नहीं हो रही थी उनमें से 8 (57.14 प्रतिशत) ने 3 माह तक, 3 (21.43 प्रतिशत) ने 3–6 माह, 2 (14.29 प्रतिशत) ने 6–9 माह एवं 1 (7.14 प्रतिशत) ने 9–12 माह में राशि प्राप्त होना बतलाया। माह मार्च,2009 तक की राशि चयनित 16 अनाथ पालनहारों में से 11 (68.75 प्रतिशत) को नहीं प्राप्त हुई। राशि समय पर प्राप्त नहीं होने का मुख्य कारण विभाग की अव्यवस्था के कारण राशि समय पर प्राप्त नहीं होना व 2–3 माह की राशि का एक साथ भुगतान करना बतलाया। एकमुश्त राशि शत–प्रतिशत पालनहारों को 2000/– रुपये वार्षिक के आधार पर प्राप्त होना बतलाया। अनुदान राशि का भुगतान 2 (12.50 प्रतिशत) ने नकद व 14 (87.50 प्रतिशत) ने चैक/ड्राफ्ट द्वारा करना बतलाया। शत–प्रतिशत अनाथ पालनहारों ने बैंक/पोस्ट आफिस में खाता खोलना बतलाया तथा 14 अर्थात् शत–प्रतिशत ने ही राशि खाते में जमा किया जाना बतलाया। राशि प्राप्ति में 8 (50 प्रतिशत) ने कठिनाई बतलायी। जिन अनाथ पालनहारों ने कठिनाई बतलाई उनके द्वारा बतलाया गया कि विभाग की सुव्यवस्थित व्यवस्था नहीं

होने से अनुदान की सूचना समय पर नहीं दी जाती है जिससे उनको विभाग के बार–बार चक्कर लगाने पड़ते हैं जिसके लिए उन्हें राशि प्राप्ति में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अतः अनुदान राशि के भुगतान की सुव्यवस्थित व्यवस्था करने पर ध्यान देना चाहिए। अनाथ बच्चों के पालनहारों को प्रदान की जा रही अनुदान राशि में से 11 (68.75 प्रतिशत) ने खर्चा चल जाना व 5 (31.25 प्रतिशत) ने खर्चा नहीं चलना बतलाया। उनके द्वारा वर्तमान मंहगाई के अनुसार पढ़ाई पर अधिक राशि 800–1200 रुपये तक व्यय किया जाना बतलाया तथा पुस्तकों/ड्रैस इत्यादि पर 3000/–रुपये तक वार्षिक खर्चा आना बतलाया गया। अतः इस सम्बन्ध में सुझाव है कि विभाग को उच्च कक्षाओं में पढ़ रहे बच्चों के लिए वर्तमान मंहगाई को देखते हुए राशि मासिक 675/– से बढ़ाकर 800/– एवं एकमुश्त 2000 से बढ़ाकर 2500 तक बढ़ाये जाने पर विचार किया जाना चाहिए।

3.20.2 विभाग के नियम 3 के अनुसार 15 वर्ष से अधिक आयु के अनाथ बालकों को छात्रावास में प्रवेश देकर अध्ययन करवाये जाने का प्रावधान रखा गया है, परन्तु अध्ययन के दौरान किसी भी बालक/बालिका को छात्रावास में प्रवेश नहीं दिया जाना पाया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि पालनहारों को इस सम्बन्ध में जानकारी नहीं है। अतः सक्षम जिला अधिकारी द्वारा अनाथ बच्चों को 15 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात् विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में रखे जाने के सम्बन्ध में पालनहारों को जानकारी प्रदान की जाकर छात्रावास में बालक/बालिकाओं को प्रवेश दिलवाने की सुदृढ़ व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए।

3.21.0 पालनहार योजना से अनाथ बालक/बालिकाओं व निराश्रित पेंशन प्राप्त विधवा माता के बालक/बालिकाओं पर पड़ रहे प्रभावों का विवरण :

3.21.1 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित पालनहार योजना से अनाथ बालक/बालिकाओं एवं निराश्रित पेंशन प्राप्त विधवा माता के बालक/बालिकाओं पर योजना से पड़ने वाले प्रभावों का विवरण इस अनुच्छेद में दिया जा रहा है। अध्ययन हेतु चयनित निराश्रित पेंशन प्राप्त विधवा माता के बालक/बालिकाओं एवं अनाथ बालक/बालिकाओं का विवरण निम्नानुसार दर्शाया जा रहा है :–

चयनित लाभार्थियों का विवरण

क्र. सं.	चयनित जिले	निराश्रित पेंशन प्राप्त विधवा माता के			अनाथ बालकों को पालने वाली रिश्तेदार पालनहार			कुल योग		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1.	बांरा	23	12	35	4	2	6	27	14	41
2.	भीलवाड़ा	22	10	32	1	–	1	23	10	33
3.	डूंगरपुर	11	3	14	4	2	6	15	5	20
4.	जालौर	22	8	30	3	–	3	25	8	33
	योग	**78**	**33**	**111**	**12**	**4**	**16**	**90**	**37**	**127**

3.21.2 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से विदित होता है कि निराश्रित पेंशन प्राप्त विधवा माता के पास कुल 111 बालक पालनहार योजना में लाभ प्राप्त कर रहे थे। कुल बालकों में से 78 (70.3 प्रतिशत) बालक एवं 33 (29.7 प्रतिशत) बालिकाऐं पाई गई। चयनित 16 अनाथ बालकों में से 12 (75.0 प्रतिशत) बालक एवं 4 (25.0 प्रतिशत) बालिकाएँ पायी गई। इस प्रकार कुल 127 बालकों को चयनित किया गया जिनमें से 90 (71.0 प्रतिशत) बालक एवं 37 (29.0 प्रतिशत) बालिकाओं को चयनित किया जाकर पालनहार योजना में लाभ प्रदान किया गया। सभी निराश्रित पेंशन प्राप्त विधवा माता एवं अनाथ बच्चों को पालने वाली रिश्तेदार पालनहारों को नियमानुसार राशि प्रदान किया जाना बतलाया गया। समस्त विधवा माता पालनहारों को मासिक किश्त 675/– रुपये व अनाथ बालकों को पालने वाली रिश्तेदार पालनहारों को 675/– रुपये के अतिरिक्त एकमुश्त वार्षिक राशि 2000/– रुपये विभाग द्वारा दिया जाना बतलाया गया। उपलब्ध करवायी जाने वाली राशि को उनके जीवन निर्वाह एवं शिक्षा पर उपयोग किया जाना बतलाया गया।

3.22.0 लाभार्थी का स्वास्थ्य सम्बन्धी विवरण :

3.22.1 चयनित लाभार्थी के शारीरिक एवं मानसिक स्थिति किस प्रकार रही, क्या वे गम्भीर/असाध्य रोग से पीड़ित है, रोग निदान हेतु चिकित्सा सुविधा/दवाईयाँ उपलब्ध करवायी गई। उपलब्ध करवायी गई दवाओं से स्वास्थ्य में सुधार हुआ इत्यादि का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

चयनित लाभार्थियों का स्वास्थ्य सम्बन्धी विवरण

क्र. सं.	चयनित जिला	निराश्रित पेंशन प्राप्त विधवा माता के बच्चे						अनाथ बालकों का विवरण				
		कुल बालक/ बालिका	शारीरिक स्थिति			गम्भीर रोग से पीड़ित		कुल बालक/ बालिका	शारीरिक स्थिति		गम्भीर रोग से पीड़ित	
			स्वस्थ	अस्वस्थ	अपाहिज	हाँ	नहीं		स्वस्थ	अस्वस्थ	हाँ	नहीं
1.	बांरा	35	34	–	1	–	35	6	6	–	–	6
2.	भीलवाड़ा	32	32	–	–	–	32	1	1	–	–	1
3.	डूंगरपुर	14	14	–	–	–	14	6	6	–	–	6
4.	जालौर	30	30	–	–	–	30	3	3	–	–	3
	योग	**111**	**110**	**–**	**1**	**–**	**111**	**16**	**16**	**–**	**–**	**16**

3.22.2 चयनित निराश्रित पेंशन प्राप्त विधवा माता के 111 बालकों में से 110 (99.10 प्रतिशत) बालक स्वस्थ पाये गये तथा बांरा जिले की 1 (0.90 प्रतिशत) बालिका गूंगी/बहरी पायी गई अर्थात् अपाहिज पायी गई एवं किसी प्रकार की गम्भीर बीमारी नहीं पायी गई। इसी प्रकार चयनित 16 (100.00 प्रतिशत) अनाथ बालकों की शारीरिक स्थिति स्वस्थ एवं किसी प्रकार के गम्भीर रोग से ग्रसित नहीं पायी गई।

3.23.0 लाभार्थी के पालन–पोषण की स्थिति :

3.23.1 विधवा माता पालनहार के पास पल रहे चयनित 111 बालकों में से शत–प्रतिशत को उसकी माता द्वारा एवं अनाथ 16 बालकों में से 6 (37.5 प्रतिशत) को दादी, 3 (18.75 प्रतिशत) को नानी एवं 7 (43.75 प्रतिशत) को दूर के रिश्ते में पिता की दादी/नानी द्वारा पालन–पोषण किया जा रहा है। सभी पालनहारों द्वारा पालन–पोषण की पूर्ण देखभाल की जा रही है तथा उनके भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा एवं आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था उनके द्वारा की जा रही है। दूध, दही, फल एवं घी के लिए विधवा माता के 111 बालकों में से 74 (66.66 प्रतिशत) ने उपलब्ध करवाया जाना तथा 47 (42.34 प्रतिशत) ने उपलब्ध नहीं करवाया जाना बतलाया जिससे स्पष्ट है कि विधवा माता की स्थिति कमजोर है। उपलब्ध करवायी जाने वाली सुविधा को चयनित बालकों में से 30 (27.03 प्रतिशत) ने अच्छी एवं 81 (72.97 प्रतिशत) ने ठीक बतलायी और सभी बालक/बालिकाओं ने उनकी माता द्वारा उपलब्ध करवायी गई सुविधाओं से सन्तुष्ट होना बतलाया। जिससे स्पष्ट है कि बालक की माता एवं नजदीकी रिश्तेदार होने से उनकी देखभाल अच्छी तरह से की जा रही है।

3.23.2 इसी प्रकार चयनित 16 अनाथ बालक/बालिकाओं में से शत–प्रतिशत ने पालनहार द्वारा पूर्ण देखभाल किया जाना एवं सभी बालकों को मूलभूत सुविधायें भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा एवं आवश्यक वस्तुऐं उपलब्ध करवाया जाना बतलाया। चयनित बालकों को उपलब्ध करवायी जाने वाली वस्तुओं का स्तर 7 (43.75 प्रतिशत) ने अच्छी एवं 9 (56.25 प्रतिशत) ने ठीक बतलाया अर्थात् उनकी साधारण स्थिति होने से अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार साधन–सुविधा सभी बालकों को उपलबध करवायी जा रही है। सभी चयनित बालकों ने उपलब्ध करवायी जा रही साधन सुविधाओं पर अपनी सन्तुष्टि व्यक्त की। इससे स्पष्ट है कि बालक का पालनहार से नजदीकी रिश्ता होने से उनकी देखभाल की जिम्मेदारी अच्छी/ठीक तरह से निभाई जा रही है।

3.24.0 चयनित बालकों का जातिवार वर्गीकरण :

3.24.1 चयनित निराश्रित, पेंशन प्राप्त विधवा माता के यहाँ पल रहे 111 बालकों का जातिवार वर्गीकरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

चयनित बालकों का जातिवार वर्गीकरण

(संख्या)

क्र. सं.	चयनित जिले का नाम	चयनित बालक/बालिका	बालक/बालिका की जाति				
			अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य वर्ग	अल्पसंख्यक
1.	बांरा	35	23	1	9	2	–
2.	भीलवाड़ा	32	11	4	7	8	2
3.	डूंगरपुर	14	1	6	3	4	–
4.	जालौर	30	9	3	15	3	–
	योग	**111**	**44**	**14**	**34**	**17**	**2**

3.24.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि चयनित 111 बालकों में से 44 (39.64 प्रतिशत) अनुसूचित जाति, 14 (12.61 प्रतिशत) अनुसूचित जनजाति, 34 (30.63 प्रतिशत) अन्य पिछड़ा वर्ग, 17 (15.31 प्रतिशत) सामान्य वर्ग, 2 (1.80 प्रतिशत) अल्पसंख्यक वर्ग के पाये गये। इससे स्पष्ट है कि अधिकांश बालक/बालिकाऐं अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के पाये गये अर्थात् इन वर्ग के बालकों को पालनहार योजना से अधिक लाभान्वित किया गया।

3.25.0 चयनित बालकों का कक्षावार वर्गीकरण :

3.25.1 चयनित निराश्रित, पेंशन प्राप्त विधवा माता के यहाँ पल रहे 111 बालकों का कक्षावार वर्गीकरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

चयनित बालकों का कक्षावार वर्गीकरण

(संख्या)

क्र. सं.	चयनित जिले का नाम	चयनित बालक/ बालिका	कक्षावार वर्गीकरण												
			आंगन–बाड़ी	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	बांरा	35	–	2	5	4	10	1	7	1	4	1	–	–	–
2.	भीलवाड़ा	32	–	–	–	5	4	6	7	2	5	2	1	–	–
3.	डूंगरपुर	14	1	1	2	1	3	1	1	3	–	–	–	–	–
4.	जालौर	30	–	–	2	1	4	2	4	6	5	–	5	1	–
	योग	**111**	**1**	**3**	**9**	**11**	**21**	**10**	**19**	**10**	**17**	**3**	**6**	**1**	**–**

3.25.2 चयनित जिलों के 111 बालकों में से 1 (0.90 प्रतिशत) बालक आंगनबाड़ी, 54 (48.65 प्रतिशत) प्राथमिक कक्षा, 46 (41.44 प्रतिशत) मिडिल एवं 9 (8.11 प्रतिशत) माध्यमिक एवं 1 (0.90 प्रतिशत) उच्च माध्यमिक कक्षा में पढ़ रहे थे अर्थात् सभी बच्चे पढ़ाई हेतु स्कूल जा रहे थे एवं सभी बच्चों को निर्धारित अनुदान राशि प्राप्त हो रही थी।

3.26.0 अनाथ बालकों का जातिवार वर्गीकरण :

3.26.1 अनाथ बालकों का जातिवार वर्गीकरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

अनाथ बालकों का जातिवार वर्गीकरण

(संख्या)

क्र. सं.	चयनित जिले का नाम	चयनित बालक/ बालिका	बालक/बालिका की जाति				
			अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य वर्ग	अन्य
1.	बांरा	6	4	1	–	–	1
2.	भीलवाड़ा	1	–	–	1	–	–
3.	डूंगरपुर	6	–	5	1	–	–
4.	जालौर	3	1	–	1	1	–
	योग	**16**	**5**	**6**	**3**	**1**	**1**

3.26.2 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि 16 चयनित अनाथ बालकों में से 5 (31.25 प्रतिशत) अनुसूचित जाति, 6 (37.5 प्रतिशत) अनुसूचित जाति, 3 (18.75 प्रतिशत) अन्य पिछड़ा वर्ग, 1 (6.25 प्रतिशत) सामान्य वर्ग एवं 1 (6.25 प्रतिशत) अन्य वर्ग अर्थात् अल्पसंख्यक वर्ग के पाये गये। तालिका के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधिकांश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के बालक पालनहार योजना में लाभ प्राप्त कर रहे थे।

3.27.0 अनाथ बालकों का कक्षावार वर्गीकरण :

3.27.1 अनाथ बालकों का कक्षावार वर्गीकरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

अनाथ बालकों का कक्षावार वर्गीकरण

(संख्या)

क्र. सं.	चयनित जिले का नाम	चयनित बालक/ बालिका	कक्षावार वर्गीकरण											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	बांरा	6	–	2	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–
2.	भीलवाड़ा	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
3.	डूंगरपुर	6	–	–	1	–	2	–	2	–	1	–	–	–
4.	जालौर	3	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–
	योग	**16**	**–**	**2**	**1**	**–**	**4**	**2**	**3**	**2**	**2**	**–**	**–**	**–**

3.27.2 चयनित 16 अनाथ बालकों में से सभी बालक स्कूल में अध्ययनरत हैं। अध्ययन कर रहे बालकों में से 7 (43.75 प्रतिशत) बालक प्राथमिक कक्षा, 7(43.75 प्रतिशत) मिडिल कक्षा एवं शेष रहे 2 (12.50 प्रतिशत) बालक माध्यमिक कक्षा में अध्ययन कर रहे थे। इस प्रकार सभी बालक पालनहारों की निगरानी में पढ़ाने–लिखाने की व्यवस्था की जा रही थी जो उनके उज्जवल भविष्य के लिए उपयुक्त मार्गदर्शन के लिए आवश्यक है तथा सभी पालनहारों द्वारा उनकी शिक्षा पर ध्यान दिया जाना पाया गया।

3.27.3 अध्ययन के दौरान किसी भी बालक/बालिका के छात्रावास में अध्ययन नहीं करना पाया गया। अतः सम्बन्धित जिला अधिकारियों द्वारा बालक के 15 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात् विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में प्रवेश दिलवाने की व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए और इस सम्बन्ध में पालनहारों को जानकारी प्रदान करने हेतु विज्ञापन/प्रचार–प्रसार माध्यम से अवगत करवाने की सुव्यवस्थित व्यवस्था पर विभाग को ध्यान देना चाहिए।

3.28.0 **लाभार्थी बालकों को उपलब्ध करवायी जाने वाली साधन सुविधाओं का विवरण :**
3.28.1 निराश्रित पेंशन प्राप्त विधवा माता के यहाँ पल रहे बालक/बालिकाओं को पालनहार द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सुविधाओं का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

पालनहार द्वारा उपलब्ध साधन/सुविधाओं का विवरण

क्र. सं.	चयनित जिले का नाम	चयनित बालक/ बालिका	पालनहार द्वारा बालकों को उपलब्ध सुविधाएँ/साधन का विवरण									
			स्कूल में प्रवेश (हाँ)	फीस जमा करवाना (हाँ)	शिक्षण सामग्री (हाँ)	यूनिफार्म (हाँ)	जूते, जुराब, स्वेटर		ट्यूशन		यूनिफार्म/ जूते/जुराब/ स्वेटर प्रति वर्ष मिलता है	
							(हाँ)	(नहीं)	(हाँ)	(नहीं)	(हाँ)	(नहीं)
1.	बांरा	35	35	35	35	35	35	–	1	34	29	6
2.	भीलवाड़ा	32	32	32	32	32	26	6	–	32	6	26
3.	डूंगरपुर	14	14	14	14	14	14	–	2	12	9	5
4.	जालौर	30	30	30	30	30	26	4	7	23	27	3
	योग	**111**	**111**	**111**	**111**	**111**	**101**	**10**	**10**	**101**	**71**	**40**

3.28.2 चयनित बालक/बालिकाओं को उपलब्ध करवाई जा रही साधन/सुविधाओं की जानकारी प्राप्त करने पर स्कूल में प्रवेशित सभी बालकों ने फीस जमा करवाना, शिक्षण सामग्री, यूनिफार्म पालनहार द्वारा दिया जाना स्वीकार किया। जूते, जुराबें एवं स्वेटर हेतु चयनित में से 10 (9.01 प्रतिशत) ने प्राप्त नहीं किया जाना बतलाया। ट्यूशन भी 10 (9.01 प्रतिशत) बालक/बालिकाओं ने किया जाना बतलाया। इनमें से II कक्षा में 1, III कक्षा में 1, VII कक्षा में 3, VIII कक्षा में 1 एवं X कक्षा के 4 बच्चे ट्यूशन कर रहे थे। जिससे स्पष्ट है कि VII/ VIII कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाई करने में कठिनाई महसूस की जा रही थी जिसके लिए पालनहार द्वारा ट्यूशन करवाकर पढ़ाना जारी रखा गया।

3.28.3 चयनित सभी 111 बालक/बालिकाओं में से 71 (63.96 प्रतिशत) को यूनिफार्म, जूते, जुराब व स्वेटर मिलना व 40 (36.04 प्रतिशत) को नहीं मिलना बतलाया। सभी चयनित बालक/बालिकाओं ने पालनहार द्वारा उपलब्ध करवायी जा रही सुविधाऐं एवं शिक्षण सम्बन्धी प्रयासों में सन्तुष्टि व्यक्त की। पालनहार का व्यवहार भी सभी बालक/ बालिकाओं ने अच्छा ही बतलाया पालनहार योजना में लाभ मिलने के पश्चात् कुल चयनित बच्चों की पढ़ाई–लिखाई में भी फर्क पड़ना बतलाया।

3.28.4 चयनित 16 अनाथ बालकों में से भी सभी बालकों ने स्कूल में प्रवेश हेतु फीस, शिक्षण सामग्री, यूनिफार्म, जूते–जुराबे उपलब्ध करवाना बतलाया। किसी बच्चे द्वारा ट्यूशन करना नहीं पाया गया। जूते, स्वेटर हेतु 3 (18.75 प्रतिशत) ने प्रतिवर्ष नहीं दिया जाना बतलाया। सभी बालकों ने पालनहार का व्यवहार अच्छा ही बतलाया। अनुदान से सभी बालकों की पढ़ाई में भी सहयोग मिलना बतलाया। सभी बालकों ने पालनहार को बदलने सम्बन्धी किसी प्रकार की इच्छा जाहिर नहीं की है।

3.28.5 उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित पालनहार योजना द्वारा अनाथ बालक/बालिका एवं निराश्रित पेंशन प्राप्त विधवा माता के बालक/बालिका को अध्ययन हेतु मिलने वाली राशि से लाभान्वित किया जा रहा है तथा विधवा माताओं को पेंशन प्रदान कर उनके जीवन निर्वाह हेतु सुविधा उपलब्ध करवायी जा रही है। योजनान्तर्गत आर्थिक सहयोग प्रदान कर उनके जीवन को सुचारू रूप से अनुदान उपलब्ध करवाकर उनके जीवन निर्वाह की स्थिति में सुधार किया जाकर सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

3.29.0 पालनहार योजना के सम्बन्ध में अधिकारी/गैर–अधिकारी वर्ग की विस्तृत प्रतिक्रिया :

3.29.1 चयनित जिले बांरा, भीलवाड़ा, डूंगरपुर एवं जालौर के 33 उत्तरदाताओं (अधिकारी/गैर–अधिकारियों) से पालनहार योजना की जानकारी एवं योजनान्तर्गत उपलब्ध करवायी जाने वाली साधन/सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। सभी उत्तरदाताओं ने पालनहार योजना की जानकारी होने के सम्बन्ध में सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की एवं योजना का संचालन जिले में निम्नानुसार किया जाना बतलाया :–

क्र. सं.	चयनित जिले का नाम	चयनित अधिकारी/ गैर–अधिकारी	योजना की जानकारी है (हाँ)	जिले में योजना संचालन का वर्ष			
				2004–05	2005–06	2006–07	2007–08
1.	बांरा	10	10	4	6	–	–
2.	भीलवाड़ा	4	4	–	2	–	2
3.	डूंगरपुर	6	6	–	5	–	1
4.	जालौर	13	13	–	11	2	–
	योग	**33**	**33**	**4**	**24**	**2**	**3**

3.29.2 चयनित 33 अधिकारी/गैर–अधिकारियों ने योजना की जानकारी होने के सम्बन्ध में 4 (12.12 प्रतिशत) को वर्ष 2004–05, 24 (72.73 प्रतिशत) को वर्ष 2005–06, 2 (6.06 प्रतिशत) को वर्ष 2006–07 एवं 3 (9.09 प्रतिशत) को वर्ष 2007–08 से जानकारी होना बतलाया। इस प्रकार स्पष्ट है कि पालनहार योजना की जानकारी शत–प्रतिशत को थी।

3.30.0 योजना का क्रियान्वयन :

3.30.1 चयनित उत्तरदाताओं से अनाथ बच्चों को चिन्हित् करने एवं विधवा पालनहार का चयन करने के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गई। इस सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि जिस बच्चे के माता–पिता न हो, परिवार में कोई वयस्क पुत्र कमाने वाला न हो, पालनहार की आय 1,20,000/– रुपये से अधिक नहीं हो, बच्चे के माता–पिता का मृत्यु प्रमाण–पत्र हो एवं विधवा माता पेंशन प्राप्त करने वाले के बच्चे इत्यादि व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर एवं कैम्प लगाकर स्कूल के प्रमाण–पत्र के आधार पर आवेदन पत्र भरवाकर उसकी पात्रता की जाँच की जाकर साक्ष्य एकत्रित किये जाते हैं उसके आधार पर अनाथ बच्चों को चिन्हित् किया जाना बतलाया।

3.30.2 पालनहार का चयन करते समय उसका राशन कार्ड में नाम हो, पालनहार द्वारा बच्चे का पालन– पोषण एवं पढ़ाई कराने में सक्षम होना, पालनहार की आय 1.20 लाख रुपये से कम हो, निराश्रित पेंशन प्राप्त विधवा माता हो, पति की मृत्यु का प्रमाण–पत्र हो इत्यादि तथ्यों की जानकारी प्राप्त की जाकर पालनहार का चयन किया जाता है। सभी चयनित सरकारी/गैर–सरकारी उत्तरदाताओं ने पालनहार द्वारा बच्चों को भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना बतलाया गया। उनके द्वारा पालनहार के अनाथ बच्चे जिनकी आयु 5 वर्ष से कम है उनको 500 रुपये एवं 5 वर्ष से अधिक आयु वाले बालक को 675 रुपये प्रतिमाह एवं एकमुश्त 2000 रुपये की राशि यूनीफार्म, जूते, जुराब, स्वेटर हेतु दिया जाना एवं निराश्रित पेंशन प्राप्त महिला के बालक को जिनकी आयु 5 वर्ष से कम हैं उनको 500 रुपये एवं 5 वर्ष से अधिक आयु के बालक को 675 रुपये प्रतिमाह दिया जाना बतलाया।

3.31.0 अनुदान राशि के सम्बन्ध में सरकारी/गैर–सरकारी अधिकारियों का मत :

3.31.1 चयनित सरकारी/गैर–सरकारी अधिकारियों से उपलब्ध करवाई जाने वाली अनुदान राशि की पर्याप्तता, अनुदान राशि का भुगतान समय पर, भुगतान निवास स्थान पर, बच्चों के लालन–पालन की जानकारी प्राप्त की गई। उनसे प्राप्त जानकारी को निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र. सं.	चयनित जिले का नाम	चयनित अधिकारी/ गैर–अधिकारी उत्तरदाता	देय अनुदान की पर्याप्तता		नहीं, तो कितनी होनी चाहिए		दो से अधिक बालक हेतु	राशि समय पर मिलती है		अनुदान राशि का भुगतान पालनहार के निवास पर		भुगतान का प्रकार	
			हाँ	नहीं	वार्षिक एकमुश्त 3000 रुपये तक	मासिक 675 से 800 रुपये तक		हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	वार्षिक	मासिक
1.	बांरा	10	4	6	3	3	–	2	8	2	8	7	3
2.	भीलवाड़ा	4	3	1	1	–	–	2	2	4	–	1	3
3.	डूंगरपुर	6	3	3	1	2	1	3	3	4	2	–	6
4.	जालौर	13	12	1	1	–	–	1	12	2	11	–	13
	योग	**33**	**22**	**11**	**6**	**5**	**1**	**8**	**25**	**12**	**21**	**8**	**25**

3.31.2 चयनित सरकारी/गैर–सरकारी उत्तरदाताओं में से 22 (66.67 प्रतिशत) ने अनुदान राशि पर्याप्त बतलाई एवं 11 (33.33 प्रतिशत) ने अनुदान राशि अपर्याप्त बतलाई। जिन उत्तरदाताओं ने अनुदान राशि अपर्याप्त बतलाई उनमें से 6 (54.55 प्रतिशत) ने वार्षिक अनुदान राशि एकमुश्त 3000 रुपये किये जाने पर सहमति व्यक्त की, क्योंकि उनके द्वारा चिकित्सा एवं अन्य विविध मदों पर अधिक राशि व्यय होना बतलाया गया है। वर्तमान में मंहगाई को देखते हुए पढ़ाई पर अधिक व्यय होने के कारण 5 (45.45 प्रतिशत) ने मासिक किश्त 675 से बढ़ाकर 800 रुपये करने व 1 (9.09 प्रतिशत) सरकारी अधिकारी ने विधवा माता पालनहार को दो बच्चों के लिए अनुदान दिये जाने हेतु सुझाव दिया।

3.32.0 **राशि की प्राप्ति :**

3.33.1 राशि की प्राप्ति के सम्बन्ध में 25 (75.76 प्रतिशत) ने समय पर नहीं मिलना बतलाया तथा भुगतान का प्रकार 8 (24.24 प्रतिशत) ने वार्षिक एवं 25 (75.76 प्रतिशत) ने मासिक किया जाना बतलाया। राशि भुगतान हेतु 12 (36.36 प्रतिशत) ने पालनहार के निवास स्थान पर करना एवं 21 (63.64 प्रतिशत) ने नहीं किया जाना बतलाया। इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा राशि भुगतान की प्रक्रिया को सुदृढ़ किये जाने एवं वर्तमान मंहगाई को देखते हुए राशि बढ़ाने पर विचार किया जाना चाहिए। सभी अधिकारी/गैर–अधिकारियों ने पालनहार द्वारा अवयस्क बच्चों की पूर्ण देखभाल एवं अपने परिवार के सदस्यों की तरह लालन–पालन किया जाना बतलाया। किसी भी पालनहार द्वारा उचित प्रकार देखभाल नहीं करने सम्बन्धी मामला विभाग में नहीं आना बतलाया अर्थात् किसी भी पालनहार के विरूद्ध देखभाल नहीं करने एवं कार्यवाही करने एवं पालनहार को बदलने सम्बन्धी कार्यवाही विभाग को नहीं करनी पड़ी है।

3.32.2 सभी सरकारी/गैर–सरकारी अधिकारियों ने बच्चों को स्कूल/आंगनबाड़ी में नियमित भिजवाने की व्यवस्था पर सहमति व्यक्त की। अधिकारियों ने पालनहार के घर जाकर निरीक्षण भी किया जाना बतलाया। अधिकांश ने मासिक एवं पाक्षिक निरीक्षण किया जाना बतलाया। पालनहार द्वारा उनकी सम्पत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके परिवार के द्वारा किया जाना एवं बच्चों के लालन–पालन पर अच्छा प्रभाव पड़ना बतलाया।

3.33.0 **योजना की उपयोगिता :**

3.33.1 सांराश में सभी सरकारी/गैर–सरकारी उत्तरदाताओं ने पालनहार योजना को उपयोगी बतलाया। अनाथ बच्चों को पारिवारिक माहौल मिल जाने से उन्हें अनाथ होने का अहसास नहीं होता है। उन्होंने आयु सीमा 15 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर नवीन वर्ग को सम्मिलित किया जाकर योजना का विस्तार करने हेतु भी प्रस्ताव दिया। उनके द्वारा माता–पिता में से किसी एक की मृत्यु होने, शारीरिक/मानसिक रूप से विकलांग होने, पुलिस थाने की रिपोर्ट के अनुसार माता–पिता के लापता होने, दोनों के विकलांग होने को योजना में सम्मिलित किये जाने हेतु सुझाव दिया। योजना को पालनहार विधवा माता एवं अनाथ बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए उत्तम बतलाया गया है।

————

अध्याय – चतुर्थ

कठिनाइयाँ एवं सुझाव

4.1 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा समाज के अत्यधिक गरीब, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए राज्य में अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। इसी को मद्देनजर रखते हुए राजस्थान की अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, सामान्य एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लिए पालनहार योजना को दिनांक 8–2–2005 से सम्पूर्ण राज्य में प्रारम्भ किया गया। योजनान्तर्गत निराश्रित पेंशन प्राप्त विधवा माता के बालक/बालिका एवं अनाथ बालक/बालिकाओं के पालन–पोषण हेतु 5 वर्ष तक की आयु के अनाथ बच्चों के लालन–पालन हेतु 500/– रुपये प्रतिमाह की दर से तथा स्कूल में प्रवेशित होने के बाद 675/– रुपये प्रतिमाह की दर से प्रति बालक अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। अनाथ बच्चे जिनके माता–पिता दोनों की दुर्घटना या बीमारी के कारण मृत्यु हो गई है ऐसे बच्चे अकेले (अनाथ) रह जाते है इनकी देखभाल एवं परवरिश करने वाला कोई नहीं होता है ऐसे अनाथ बच्चों के लिए स्कूल में प्रवेश लेने के पश्चात् यूनिफार्म, जूते, स्वेटर एवं जुराब के लिए 2000/– रुपये प्रति अनाथ बच्चों के लिए वार्षिक एकमुश्त अनुदान प्रदान किया जा रहा है। निराश्रित पेंशन प्राप्त विधवा महिलाओं के बच्चों के लिए विधवा माता स्वंय पालनहार होती है एवं अनाथ बालक/बालिका को कोई भी रिश्तेदार पालनहार हो सकता है जो बच्चों के भोजन, वस्त्र, आवास, प्रारम्भिक शिक्षा, चिकित्सा एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति का दायित्व लेता है।

4.2 योजना के प्रभावों को ज्ञात करने हेतु चयनित जिलों के विधवा माता पालनहार, अनाथ बालक/बालिकाओं को पालने वाली पालनहार, निराश्रित पेंशन प्राप्त विधवा माता का बालक/बालिका, अनाथ बालक/बालिका, अधिकारी/गैर–अधिकारी जिनका योजना में लाभ लेने एवं योजना के संचालन से प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहा है। शोध के दौरान उक्त वर्णित सभी वर्ग के व्यक्तियों से योजना के संचालन के सम्बन्ध में अनुभूत की जा रही समस्याओं एवं उनके समुचित निराकरण के सुझाव आमंत्रित किये गये हैं। संकलित सूचनाओं से अनुभूत मुख्य–मुख्य कठिनाईयाँ एवं सुझावों का विवरण निम्नानुसार वर्णित किया जा रहा है :–

(1) **अनुदान राशि के सम्बन्ध में :**

विधवा माता एवं अनाथ बच्चों के पालन–पोषण हेतु विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए अनुदान राशि 675/– रुपये की निर्धारित की गई है तथा अनाथ बच्चों के भोजन, वस्त्र, आवास, प्रारम्भिक शिक्षा, चिकित्सा एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वार्षिक 2000/– रुपये की एकमुश्त राशि निर्धारित की गई है। पालनहारों द्वारा राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जा रही राशि को वर्तमान मंहगाई दर को देखते हुए न्यून बतलाई गई है।

इस सम्बन्ध में अनाथ एवं विधवा माताओं के बच्चों के पालन–पोषण एवं उनकी देखरेख हेतु प्रदान की जा रही राशि को बढ़ाने हेतु अधिकांश पालनहारों, लाभार्थियों एवं अधिकारियों ने बढ़ाये जाने हेतु सुझाव दिया है उनके अनुसार मासिक अनुदान उच्च कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए 800 से 1200 रुपये तक एवं एकमुश्त वार्षिक राशि भी बढ़ाकर 2500 से 3000 रुपये तक किये जाने हेतु मत व्यक्त किया है। अतः इस सम्बन्ध में सुझाव है कि वर्तमान मंहगाई की दर को देखते हुए अनाथ बालकों के पालन–पोषण हेतु विभाग एवं राज्य सरकार को राशि बढ़ाने पर विचार करना चाहिए।

(2) **अनुदान सहायता राशि भुगतान सम्बन्धी विवरण :**

अनाथ एवं निराश्रित पेंशन प्राप्त विधवा माता के बच्चों को भी अनुदान देय होता है उसका भुगतान चैक/ड्राफ्ट द्वारा किया जाना बतलाया गया। अनाथ बच्चों एवं निराश्रित पेंशन प्राप्त करने वाले बच्चों को अनुदान राशि 675/– रुपये एवं वार्षिक 2000/– रुपये एक मुश्त भुगतान किया जाना बतलाया। अनुदान सहायता राशि का भुगतान पालनहार जो बच्चे का पालन–पोषण कर रही है उसको किया जाता है। राशि का भुगतान प्रतिमाह नियमित रूप से नहीं किया जाना सभी जिलों द्वारा बतलाया गया। बांरा, जालौर एवं डूंगरपुर जिले में त्रैमासिक स्वीकृति एवं भीलवाड़ा द्वारा बजट प्राप्त होने पर नियमित भुगतान करना बतलाया गया।

पालनहारों को प्रदान की जा रही अनुदान राशि विभाग से समय पर नहीं मिलती है तथा एक मुश्त राशि सभी को प्राप्त नहीं होती है तथा भुगतान की सूचना भी समय पर नहीं दी जाती है जिससे पालनहारों को बार–बार विभाग के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इस सम्बन्ध में सुझाव दिया जाता है कि पालनहारों को अनुदान राशि भुगतान के सम्बन्ध में निर्धारित तारीख तय की जाकर चैक दे दिया जाना चाहिए। विभाग को पुख्ता राशि भुगतान की व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें उन्हें कठिनाई नहीं आये।

विभाग द्वारा राशि को त्रैमासिक भुगतान एवं समय पर भुगतान नहीं करने का मुख्य कारण स्टाफ की कमी बतायी है। अनुदान की राशि कोषालय से विपत्र पारित होने के पश्चात् बैंक से ड्राफ्ट बनावाकर भुगतान किया जाता है। बैंक द्वारा इतनी अधिक मात्रा में ड्राफ्ट बनाने में प्रायः रूचि नहीं ली जाती है तथा समय पर ड्राफ्ट बनाकर नहीं दिये जाते हैं जिससे भुगतान में प्रायः विलम्ब हो जाता है। विभाग को समय पर भुगतान की समुचित व्यवस्था किये जाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

(3) **आवेदन पत्र प्रस्तुत करने एवं स्वीकृत करने में आने वाली कठिनाईयों के सम्बन्ध में :**

योजनान्तर्गत पालनहारों को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने एवं उनको स्वीकृत करने में समय लगता है। इस सम्बन्ध में आवेदनकर्त्ता द्वारा महसूस की जा रही कठिनाईयों को दूर करने हेतु विभाग को निम्न बिन्दुओं पर ध्यान देना चाहिए :–

I विभाग को आवेदनकर्त्ता द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् स्वीकृति में लगने वाले समय की सीमा का निर्धारण करना चाहिए।

II जिन जिलों में आवेदन पत्र नियमानुसार स्वीकृत नहीं किये जा रहे है उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

III आवेदन पत्र प्रतिवर्ष प्राप्त कर स्वीकृत किये जाने चाहिए जिससे स्वीकृति में विसंगति न रह सके एवं रिकार्ड भी संधारित किया जाना चाहिए।

IV यदि एक बार आवेदन पत्र स्वीकृत किये जाते है उनको नियमित भुगतान हो रहा है या नहीं उसकी जाँच की जाकर रिकार्ड संधारित किया जाना चाहिए।

V जिस जिले में नियमित भुगतान नहीं किया जा रहा है उस जिले में नियमित भुगतान कराने पर ध्यान देना चाहिए।

VI योजनान्तर्गत आवेदन पत्रों की स्वीकृति की प्रक्रिया को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

(4) **चिकित्सा व्यवस्था के सम्बन्ध में :**

बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल हेतु चिकित्सा हेतु राशि की मांग की गई है। इस सम्बन्ध में सुझाव दिया जाता है कि जिला/पंचायत समिति/ग्राम स्तर पर राजकीय चिकित्सालय में निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था हो अथवा स्कूलों में बच्चों की चिकित्सा हेतु डाक्टर की जाँच सुविधा माह में 1–2 बार उपलब्ध करवायी जानी चाहिए अथवा चिकित्सा खर्च पृथक से दिये जाने की व्यवस्था होनी चाहिए।

(5) **पालनहारों को एक से अधिक बच्चों के लिए अनुदान राशि भुगतान के सम्बन्ध में :**

पालनहारों ने एक ही बच्चे के लिए अनुदान राशि दिये जाने की व्यवस्था होना बतलाया। एक से अधिक बच्चे होने पर अनुदान दूसरे बच्चे को प्राप्त नहीं होना बतलाया जिससे दूसरे बच्चे के लालन–पालन में विधवा माता पालनहारों ने कठिनाई महसूस की। इस सम्बन्ध में सुझाव दिया जाता है कि विधवा माता पालनहार को 2 बच्चे होने पर लालन–पालन हेतु दूसरे बच्चे के लिए भी अनुदान सहायता राशि के भुगतान का प्रावधान होना चाहिए ताकि वह दूसरे बच्चे को भी शिक्षा दिलवाकर सुसंस्कारित बना सके।

(6) **विधवा माता के पुनर्विवाह किये जाने पर मृत पिता की संतान को सम्मिलित करनां :**

जिस विधवा माता ने पुनर्विवाह कर लिया है उसके बच्चों के लिए योजनान्तर्गत अनुदान राशि नहीं दिये जाने का प्रावधान है। इन बच्चे के पालन–पोषण में कठिनाई महसूस किया जाना पाया गया।

इस सम्बन्ध में सुझाव दिया जाता है कि विधवा माता के पुनर्विवाह करने पर मृत पति की सन्तान जो दादी–चाची या अन्य के पास छोड़ गयी उन बच्चों को भी पालनहार योजना के अनुदान से लाभान्वित किया जाना चाहिए ताकि उन बच्चों की शिक्षा एवं पालन–पोषण की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

(7) **बच्चों की उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में :**

15 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को लाभ नहीं दिया जाना पाया गया है। इस सम्बन्ध में 15 वर्ष से अधिक आयु के अनाथ बच्चों की उच्च शिक्षा की व्यवस्था पर भी विभाग को विचार करना चाहिए।

(8) **स्टाफ एवं वाहन के सम्बन्ध में :**

सरकारी/गैर–सरकारी अधिकारियों ने स्टाफ की कमी एवं विभागीय वाहन की कमी के कारण मोनेटरिंग का कार्य सही ढ़ंग से करने में कठिनाई बतलाई। इस पर विभाग को ध्यान देना चाहिए।

(9) **अधिकारियों की नियमित निरीक्षण व्यवस्था के सम्बन्ध में :**

अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण व्यवस्था का अभाव पाया गया। इस सम्बन्ध में सुझाव है कि योजना में लाभार्थी की समस्याओं के निराकरण हेतु नियमित निरीक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए।

4.3 लाभार्थियों द्वारा योजना की उपयोगिता, कठिनाई एवं सुझाव के सम्बन्ध में विवरण :

4.3.1 लाभार्थियों द्वारा योजना संचालन में आने वाली कठिनाइयों के बारे में निम्न कारण बतलाये गये :–

(1) लाभार्थियों को डी.डी. के माध्यम से भुगतान किया जाता है, डी.डी. बनाने में बैंक द्वारा अधिक समय लग जाता है जिससे योजना का लाभ समय पर नहीं मिल पाता है। योजना में दी जाने वाली राशि न्यून है एवं त्रैमासिक स्वीकृति जारी की जाती है जिससे राशि देरी से प्राप्त होने की कठिनाई बतलायी।

(2) कार्यालय में कर्मचारियों का अभाव भी पाया गया जिससे स्वीकृति जारी करने, आवेदन पत्रों की जांच करने में समय पर स्वीकृति जारी नहीं हो पाती है।

(3) आवेदक के खाता खुलवाने की समस्या रहती है, आई.डी. की कठिनाई रहती है। चैक बनाने में/ड्राफ्ट बनाने में बैक द्वारा आनाकानी की जाती है जिसमें काफी समय लग जाता है। एस.बी.बी.जे. बैंक खाता खोलने के लिए कदाचित तैयार नहीं होता है। लाभार्थियों के खाते प्रायः ग्रामीण बैंक एवं सहकारी बैकों में होने से ऑन–लाइन जमा करवाना भी संभव नहीं हो पाता है।

(4) योजना के संचालन हेतु पृथक राशि का आवंटन नहीं होने से सामान्य परिचालन व्यय जैसे–स्टेशनरी आदि की कठिनाई रहती है, साथ ही डी.डी. बनाने का व्यय भी लाभार्थी को स्वीकृत राशि से ही कराया जाता है।

4.4 योजना के संचालन हेतु सुझाव :

4.4.1 योजना को सुदृढ़ रूप से संचालित किये जाने हेतु चयनित जिलों के जिला कार्यालयों से प्राप्त सुझाव निम्नानुसार दिये गये है :–

(1) प्रत्येक पालनहार की कैश फाइल संधारित की जानी आवश्यक होनी चाहिए तथा योजना की राशि बढ़ाई जानी चाहिए।

(2) कार्यालय में रिक्त पदों पर लिपिकीय संवर्ग को समानीकरण किया जाना चाहिए। जहाँ पर कर्मचारियों की कमी है वहाँ पर उनकी नियुक्ति की जानी चाहिए। योजना के संचालन हेतु कम्प्यूटर आपरेटर द्वारा रिकार्ड संधारण की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(3) उच्च स्तर से खाता खोलने की व्यवस्था होनी चाहिए। खाता खोलने की व्यवस्था का सरलीकरण होना चाहिए जिससे लाभार्थियों को समय पर भुगतान प्राप्त हो सके। जिलाधिकारी के पदनाम से बैंक में खाता खुलवाने की अनुमति दी जावे जिससे पृथक चैक बुक जारी करवायी जाकर लाभार्थी को समय पर भुगतान किया जा सके।

(4) अध्ययन के दौरान किसी भी बालक/बालिका के छात्रावास में अध्ययन नहीं करना पाया गया। अतः सम्बन्धित जिला अधिकारियों द्वारा बालक के 15 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात् विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में प्रवेश दिलवाने की व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए और इस सम्बन्ध में पालनहारों को जानकारी प्रदान करने हेतु विज्ञापन/प्रचार–प्रसार माध्यम से अवगत करवाने की सुव्यवस्थित व्यवस्था पर विभाग को ध्यान देना चाहिए।

4.5 सारांश :

4.5.1 ग्रामीण एवं शहरी परिवेश में प्राकृतिक त्रासदी, दुर्घटनाओं या अन्य कारणों से अनाथ बच्चों का पालन–पोषण रिश्तेदारों/परिवारों द्वारा परम्परागत रूप से किया जाता है। विधवा महिलाऐं भी अपने स्तर से बच्चों का पालन–पोषण करती रही है। ऐसे बच्चे रोटी, कपड़ा के लिए जूझते रहते हैं इनके स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसी मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण होना दूभर रहता है एवं सामाजिक सुरक्षा पूर्ण रूप से मुहैया नहीं हो पाती है। समाज के इस वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2005 से पालनहार योजना प्रारम्भ कर सामाजिक सुरक्षा का ठोस कदम उठाया है। इस योजना की क्रियान्विति में पाया गया कि अनाथ बालकों को विद्यालय में अध्ययन जारी होने से शिक्षा की सुविधा मिल रही है, साथ ही पारिवारिक माहौल में अनाथों को भोजन, वस्त्र एवं निवास की सुविधा मिल जाती है। विधवा महिलाओं को पेंशन एवं अनुदान मिलने से वे बच्चों का पालन–पोषण करने में योजना उनको सम्बल प्रदान करती है। सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि में निश्चित रूप से यह महत्वपूर्ण कदम है। योजना की प्रभावी क्रियान्विति विभाग द्वारा सुनिश्चित करने पर लाभान्वित वर्ग स्वस्थ समाज का हिस्सा बनकर विकास की मूलधारा से जुड़ सकेगा।

————

परिशिष्ट–I

संभागवार प्रगति की सूचना (2007–08)

क्र.सं.	संभाग	जिला	लाभार्थियों की संख्या	व्यय राशि (लाख रुपयों में)
1.	जोधपुर	जालौर	1677	84.15
		जोधपुर	1463	57.04
		पाली	875	42.99
		सिरोही	628	23.24
		बाड़मेर	161	11.18
		जैसलमेर	101	5.26
		योग	**4905**	
2.	अजमेर	भीलवाड़ा	1840	82.1
		नागौर	545	33.58
		अजमेर	520	33.67
		टोंक	220	20.37
		योग	**3125**	
3.	कोटा	बांरा	1551	78.46
		कोटा	696	38.86
		झालावाड़	248	29.06
		बूंदी	239	23.4
		योग	**2734**	
4.	जयपुर	अलवर	944	54.99
		झुन्झुनू	430	30.38
		दौसा	369	19.07
		सीकर	306	27.35
		जयपुर	270	23.04
		योग	**2319**	
5.	उदयपुर	डूंगरपुर	515	49.62
		बांसवाड़ा	475	39.81
		उदयपुर	465	12.28
		राजसमन्द	388	21.82
		चित्तौडगढ़	248	14.13
		योग	**2091**	
6.	भरतपुर	करौली	601	68.43
		भरतपुर	443	40.28
		सवाईमाधोपुर	379	25.28
		धौलपुर	204	16.11
		योग	**1627**	
7.	बीकानेर	हनुमानगढ़	476	29.23
		गंगानगर	449	26.11
		चूरू	191	17.5
		बीकानेर	97	8.58
		योग	**1213**	

मूल्यांकन अध्ययन हेतु चयनित जिलें

क्र.सं.	जिला	लाभार्थियों की संख्या	व्यय राशि (लाख रुपयों में)
1.	जालौर	1677	84.15
2.	भीलवाड़ा	1840	82.1
3.	बारां	1551	78.46
4.	डूंगरपुर	515	49.62

परिशिष्ट–II

पालनहार योजना में वर्षवार – जिलेवार आवंटित बजट व व्यय का विवरण

क्र. सं.	जिले का नाम	वर्षवार व जिलेवार आवंटित बजट तथा व्यय राशि							
		आवंटित बजट (लाख रुपयों में)			व्यय राशि				
					लाख रुपयों में			रुपयों में	
		2004–05	2005–06	2006–07	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09
1.	जयपुर	0.12	2.73	9.62	0.11	2.73	9.62	1049603	3000000
2.	जोधपुर	0.67	2.60	12.26	0.064	2.60	12.26	4212050	11000000
3.	कोटा	0.36	2.41	6.59	0.14	2.41	6.59	2972338	7852893
4.	उदयपुर	0.17	0.88	2.38	0.08	0.88	2.38	894493	5200000
5.	बीकानेर	0.15	1.08	2.50	0.013	1.08	2.50	499431	939482
6.	अजमेर	0.40	3.00	8.39	0.40	3.00	8.39	2179975	5016554
7.	भरतपुर	0.15	4.95	10.47	0.13	4.95	10.47	2473938	3999610
8.	भीलवाड़ा	0.44	2.80	3.54	0.0135	2.80	3.54	7575000	13702000
9.	बांरा	0.23	3.29	8.00	0.00	1.48	7.99	6899352	6800000
10.	चित्तौडगढ़	0.11	1.00	3.60	0.11	1.00	3.60	942124	1999638
11.	बांसवाड़ा	0.16	4.49	11.26	0.16	4.49	11.50	2366350	4857250
12.	डूँगरपुर	0.05	3.78	9.00	0.05	3.78	9.00	3679975	5534050
13.	सीकर	0.08	2.01	6.00	0.034	2.01	5.99	1932550	2759700
14.	अलवर	0.09	2.885	11.07	0.09	2.885	11.06	4096576	7475897
15.	श्रीगंगानगर	0.05	1.50	4.20	0.037	1.50	4.20	2037775	5986700
16.	जालौर	0.11	2.44	5.97	0.11	2.44	5.98	7562076	10999000
17.	पाली	0.18	1.34	7.49	0.17	1.34	7.49	3399803	4500351
18.	बाड़मेर	0.03	0.99	2.25	0.02	0.99	2.25	792804	2298065
19.	जैसलमेर	0.02	0.47	1.40	0.00	0.47	1.40	339146	1100525
20.	टोंक	0.33	2.65	5.89	0.11	2.65	5.89	1172721	2499795
21.	स.माधोपुर	0.08	2.03	3.68	0.05	2.03	3.67	1953074	4202901
22.	सिरोही	0.11	1.054	4.08	0.08	1.054	4.08	1803106	2497000
23.	झुन्झुनू	0.41	4.24	7.99	0.16	4.24	7.99	1799626	3400000
24.	चूरू	0.10	1.69	5.00	0.06	1.69	5.00	1075000	1905475
25.	हनुमानगढ़	0.24	3.12	7.36	0.074	3.12	3.36	2268925	5196025
26.	झालावाड़	0.14	1.77	12.00	0.14	1.77	11.95	1520048	5586224
27.	बून्दी	0.04	2.20	6.45	0.03	2.20	6.45	1472316	2500000
28.	नागौर	0.26	4.30	8.03	0.26	4.30	8.03	2099667	4978168
29.	दौसा	0.14	0.80	4.40	0.08	0.80	4.40	1379575	2999994
30.	करौली	0.58	7.76	19.20	0.24	7.76	19.20	4123075	6500000
31.	राजसमन्द	0.13	1.50	4.25	0.09	1.50	4.25	1598276	3999358
32.	धौलपुर	0.18	0.85	4.84	0.025	0.854	4.835	1040832	2465000
33.	प्रतापगढ़	0	0	0	0	0	0	0	391000
	योग	**6.31**	**78.61**	**219.16**	**3.13**	**76.80**	**215.32**	**79211600**	**154142655**

विशेष : पालनहार योजनान्तर्गत वर्ष 2007–08 व 2008–09 में अन्तिम व्यय ही अन्तिम आवंटन है।

परिशिष्ट–III

पालनहार योजनान्तर्गत लाभान्वितों की वर्षवार व जिलेवार संख्या सूची

क्र.सं.	जिले का नाम	वर्षवार व जिलेवार लाभान्वित अनाथ बच्चों की संख्या				
		2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09
1.	जयपुर	8	37	84	270	315
2.	जोधपुर	10	41	134	1463	1484
3.	कोटा	12	49	78	696	1062
4.	उदयपुर	3	18	32	465	833
5.	बीकानेर	2	17	33	97	129
6.	अजमेर	8	39	103	520	976
7.	भरतपुर	16	66	140	443	510
8.	भीलवाड़ा	2	51	115	1840	2607
9.	बांरा	0	35	120	1551	1453
10.	चित्तौडगढ़	10	25	59	248	333
11.	बांसवाड़ा	26	97	129	475	653
12.	डूंगरपुर	2	92	158	515	728
13.	सीकर	5	38	71	306	488
14.	अलवर	9	50	135	944	1228
15.	श्रीगंगानगर	6	27	52	449	869
16.	जालौर	22	39	89	1677	1878
17.	पाली	28	27	110	875	1277
18.	बाड़मेर	3	21	37	161	394
19.	जैसलमेर	0	13	15	101	182
20.	टोंक	22	43	73	220	420
21.	सवाईमाधोपुर	9	24	49	379	599
22.	सिरोही	3	23	62	628	813
23.	झुन्झुनू	25	69	103	369	485
24.	चूरू	9	35	72	191	222
25.	हनुमानगढ़	11	55	83	476	678
26.	झालावाड़	14	65	122	239	758
27.	बून्दी	5	40	87	248	415
28.	नागौर	41	80	129	545	763
29.	दौसा	12	20	101	430	459
30.	करौली	37	134	242	601	730
31.	राजसमन्द	3	27	82	388	527
32.	धौलपुर	5	16	74	204	339
33.	प्रतापगढ़	0	0	0	0	85
	योग	**368**	**1413**	**2973**	**18014**	**24692**

विशेष : पालनहार योजनान्तर्गत कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते है।